क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक – 23 | दिसंबर 1-15, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-12

बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 31 साल बाद :

हुक्मरान वर्ग की सांप्रदायिक राजनीति के ख़िलाफ़ एकजुट हों!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति का बयान, 2 दिसंबर, 2023

6 दिसंबर, 1992 को 16वीं सदी के एक ऐतिहासिक स्मारक, बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस, उसकी जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए चलाये गए अभियान का हिस्सा था, जो इस धार्मिक आस्था पर आधारित था कि वह श्री राम का जन्म स्थान था। उसके पहले और बाद में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे।

31 साल पहले एक ऐतिहासिक स्मारक को लोगों की नज़रों के सामने दिन-दहाड़े नष्ट कर दिया गया था। उस अपराध के किसी भी प्रमुख आयोजक को आज तक सज़ा नहीं दी गयी है। सरकार द्वारा गठित कई जांच आयोगों ने उस अपराध के असली चरित्र और इरादों पर पर्दा डालने का काम किया है।

आज तक सरकारी विवरणों में बाबरी मस्जिद के विध्वंस को कुछ कार सेवकों के समूह द्वारा एक स्वतः स्फूर्त हरकत बताया जाता है। सच तो यह है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस तथा उससे पहले व बाद में हुयी सांप्रदायिक हिंसा, ये हुक्मरान वर्ग के उच्चतम स्तरों पर रची गई साज़िश का हिस्सा थीं।

बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कांग्रेस पार्टी और भाजपा की मिलीभगत से पता चलता है कि वह हुक्मरान वर्ग की सेवा में था। उसका मक़सद राजनीतिक था, धार्मिक नहीं। उसने लोगों को बांटने और अपने सांझे दुश्मन, हुक्मरान पूंजीपति वर्ग से लोगों का ध्यान हटाने का काम किया। उसने जनता का ध्यान भटकाने का काम किया, जबकि हुक्मरान वर्ग ने उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण के जन-विरोधी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।

जबकि कांग्रेस पार्टी भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाती है और भाजपा कांग्रेस पर फरेबी धर्मनिरपेक्ष होने का आरोप लगाती है, तो इस हक़ीक़त से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये दोनों पार्टियां बाबरी मस्जिद के विनाश और उसके पहले व बाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा के लिए ज़िम्मेदार थीं।

राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था और 1989 में राम मंदिर के शिलान्यास समारोह की देखरेख की थी। उसके अगले वर्ष, भाजपा ने सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी। भड़काऊ भाषणों और ख़ास समुदाय को निशाना बनाकर फैलाई गयी सांप्रदायिक हिंसा के ज़रिये, पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल फैला दिया गया था।

अधिकतम हिन्दोस्तानी लोग किसी भी इबादत स्थल के नष्ट किये जाने के पक्ष में नहीं हैं, चाहे सैकड़ों साल पहले कुछ भी हुआ हो। लोगों की इस भावना को देखते हुए, संसद ने 1991 में एक क़ानून बनाया था जिसे इबादत स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का नाम दिया गया था। इस क़ानून में यह निर्धारित किया गया कि हरेक इबादत स्थल की स्थिति वैसी ही बरकरार रखी जानी चाहिए जैसी 15 अगस्त, 1947 को हिन्दोस्तान को आज़ादी मिलने के समय थी। लेकिन, इस क़ानून ने बाबरी मस्जिद को एक अपवाद बना दिया, जिससे बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने और उसी स्थान

शेष पृष्ठ 11 पर

राज्यों के चुनाव :

राजनीति को सबसे निचले स्तर तक गिराया जा रहा है

जबकि हिन्दोस्तान को दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र कहा जाता है, समय-समय पर होने वाले चुनाव अति-अमीर पूंजीपतियों द्वारा समर्थित पार्टियों के लिए एक-दूसरे का अपमान करने और लोगों से नाना प्रकार के झूठे वादे करने के अवसरों के अलावा और कुछ नहीं हैं।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम में राज्य विधानसभा चुनावों के लिए हाल के अभियानों में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक चर्चा को सबसे निचले स्तर तक गिरा दिया है।

कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राहुल गांधी को "मूर्खों का सरदार" कहने के ख़िलाफ़ चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा ने राहुल गांधी की उस टिप्पणी की शिकायत की है जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम पर दुर्भाग्य लाने के लिए मोदी को ज़िम्मेदार ठहराया था। इन नेताओं द्वारा एक-दूसरे का इस तरह अपमान करना लोगों को इस बात पर विचार करने को मजबूर करता है, कि देश का भविष्य ऐसे नेताओं के हाथों में कैसे सौंपा जा सकता है।

धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगना उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन, जाति और धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों से अपील करना भाजपा और कांग्रेस पार्टी के लिए स्वाभाविक बन गया है। हाल के चुनाव अभियानों में, भाजपा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी पर मुसलमान समर्थक और हिंदू-विरोधी होने तथा गुर्जर व कुछ अन्य जातियों के ख़िलाफ़ होने का आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने भाजपा पर मुसलमान-विरोधी और दलित-विरोधी होने का आरोप लगाया है। इस सबके ज़रिये इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है कि ये दोनों पार्टियां पूंजीवाद-समर्थक, मज़दूर-विरोधी और किसान-विरोधी हैं।

मोदी और अन्य भाजपा नेताओं ने बेरोज़गारी और महंगाई के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर गौतम अडानी जैसे पूंजीवादी अरबपतियों को मालामाल करने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी मज़दूरों और किसानों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।

तथ्य बताते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है या जब भाजपा की सरकार होती है, दोनों समय इजारेदार पूंजीपति मज़दूर वर्ग का अत्यधिक शोषण करके और किसानों व अन्य छोटे उत्पादकों को लूटकर, बेशुमार धन इकट्ठा करते हैं। ये दोनों पार्टियां इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही हैं कि पूंजीवाद की पूरी आर्थिक व्यवस्था मेहनतकश जनता को लूटकर अरबपतियों को अमीर बनाने की दिशा में चलायी जाती है।

भाजपा और कांग्रेस पार्टी, दोनों के नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार वादा किया है कि अगर वे सरकार बनाते हैं तो लाखों नई नौकरियां पैदा की जाएंगी। हक़ीक़त तो यह है कि बेरोज़गारी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गयी है। इन पार्टियों के नेतृत्व वाली सरकारें वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के झंडे तले इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों के विस्तार को सक्षम करने के एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जितनी नई नौकरियां पैदा होती हैं, उससे कहीं अधिक नौकरियां नष्ट हो जाती हैं।

हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपति अपनी भरोसेमंद पार्टियों के चुनाव अभियानों के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करते हैं। इसकी वजह से मज़दूरों और किसानों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव में जीतना बेहद मुश्किल हो जाता है। जबकि यह धारणा बनाई गई है कि लोग अपनी पसंद की पार्टी का चुनाव करते हैं, वास्तव में ये इजारेदार पूंजीपति ही हैं जो अपनी पसंद की पार्टी को कार्यकारी शक्ति सौंपने के लिए चुनावी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं।

चुनाव, चाहे केंद्रीय संसद के लिए हों या राज्य विधानसभाओं के लिए, ये तब तक पूंजीपति वर्ग के शासन को वैधता दिलाने का एक उपकरण बने रहेंगे, जब तक बड़े धनबल द्वारा समर्थित पार्टियों का वर्चस्व समाप्त नहीं किया जाता और फ़ैसले लेने की शक्ति लोगों के हाथों में लाने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को बदल नहीं दिया जाता है। इन तब्दीलियों को अंजाम देकर ही, आर्थिक व्यवस्था को पूंजीवादी लालच को पूरा करने के बजाय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में संचालित किया जा सकता है।

http://hindi.cgpi.org/24355

अंदर पढ़ें

- महिला आरक्षण अधिनियम 2
- हिन्दोस्तान-अमरीका 2+2 वार्ता 3
- फ़िलिस्तीनी लोगों के समर्थन में :
  - दिल्ली में प्रदर्शन 4
  - मुंबई में सभा 4
  - कई देशों ने इज़राइल से राजनयिक संबंध तोड़े 4
  - ब्रिटेन में कार्रवाइयां 5
  - विश्वव्यापी प्रदर्शन 5
- मज़दूरों-किसानों का महापड़ाव 6
- पंजाब के गन्ना किसानों की मांग 7
- मज़दूर-किसान संयुक्त मोर्चे का आगे का रास्ता 8
- अमेज़न मज़दूरों की हड़ताल 11

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 :

शक्ति का भ्रम

महिला आरक्षण विधेयक 2023, राज्यसभा में 22 सितंबर को और लोकसभा में 20 सितंबर को पारित किया गया था। यह अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रूप में जाना जाता है।

यह प्रत्यक्ष चुनाव के ज़रिये महिलाओं के लिए सामान्य श्रेणी में 33 प्रतिशत लोकसभा सीटें और राज्य विधानसभा सीटें आरक्षित करता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो सीटें वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, उनमें से एक तिहाई सीटें क्रमशः इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।

आरक्षण की अवधि पहले अधिनियम के प्रारंभ से 15 वर्षों तक रहेगी। संसद के पास इसे बढ़ाने की शक्ति होगी। विधेयक पारित होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आरक्षण का कार्यान्वयन शुरू होगा। आरक्षित सीटों के लिए सीट रोटेशन प्रत्येक आगामी परिसीमन के बाद होगा। इसका मतलब यह है कि लगभग हर 10 साल बाद रोटेशन होगा, क्योंकि 2026 के बाद से हर जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य है।

अगली जनगणना आम चुनाव के बाद 2024 में होने का प्रस्ताव है। आमतौर पर जनगणना के नतीजे आने में क़रीब 2 साल लग जाते हैं। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में 2 साल और लगेंगे। इसलिए 2029 के आम चुनाव तक, इस क़ानून के लागू होने की उम्मीद नहीं है।

इस अधिनियम को हिन्दोस्तान में महिलाओं की मुक्ति के उद्देश्य की जीत के रूप में बताया जा रहा है।

विधायी निकायों में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण के क़ानून को पारित करने के प्रयास का एक लंबा इतिहास है, जो 27 वर्षों से अधिक समय तक चलता आ रहा है। महिला संगठनों ने इस मुद्दे पर तीखी बहस और विरोध प्रदर्शन किये हैं। हर सरकार ने इस मांग को लागू करने का वादा किया है, लेकिन यह विधेयक सितंबर 2023 तक संसद में पारित होने में असफल रहा।

महिला सशक्तिकरण इतना ज्वलंत मुद्दा क्यों है?

महिला सशक्तिकरण की मांग हमारे समाज में महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न की हालतों से उभरती है।

हमारे हुक्मरानों के आर्थिक विकास के तमाम दावों के बावजूद, बहुसंख्यक महिलाओं की हालतें बेहद दमनकारी और पिछड़ी हैं।

महिलाएं अनेक प्रकार के शोषण का शिकार होती हैं। हमारे देश में महिलाएं पूंजीवादी शोषण के साथ–साथ सामंतवाद और जाति प्रथा के अवशेषों से भी पीड़ित हैं। महिलाएं रोज़ी–रोटी के लिए काम करने और नई पीढ़ी का पालन–पोषण करने का दोहरा बोझ उठाती हैं। मज़दूर वर्ग और किसान वर्ग की महिलाएं और लड़कियां शिक्षा, पर्याप्त पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य व मातृत्व सेवाओं से वंचित हैं। उन्हें समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। नौकरियों से महिला मज़दूरों को सबसे पहले निकाला जाता है। महिलाएं जातिवादी उत्पीड़न और अन्य पिछड़े रीति–रिवाज़ों का शिकार बनी हुई हैं। वे हर प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा का सबसे बुरी तरह शिकार बनती हैं। महिलाओं के अधिकारों को दबाने के लिए धार्मिक सत्ता का प्रयोग किया जाता है। वे पारिवारिक विरासत में समान हिस्सेदारी से वंचित हैं। महिला को आज भी यौन संतुष्टि और अति–शोषण की वस्तु माना जाता रहा है। अफ़सरशाही, पुलिस और अदालतें तथा राज्य की सभी संस्थाएं महिलाओं के ख़िलाफ़ खुलेआम भेदभाव करती हैं और शोषकों द्वारा किए गए कई अपराधों के लिए खुद महिलाओं को ही ज़िम्मेदार ठहराती हैं।

विधायी निकायों में महिलाओं का किस हद तक प्रतिनिधित्व है, यह हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति और दर्ज़े का सिर्फ़ एक लक्षण है। हमारे सामने अहम सवाल यह है कि क्या समस्या के मूल कारण की पहचान और समाधान किए बिना, एक निश्चित कोटे के ज़रिये, कृत्रिम रूप से, इस लक्षण को "सही" करने से वास्तव में महिलाओं को अपनी वर्तमान दुर्दशा से निकलने की शक्ति मिलेगी?

वे कौन से कारक हैं जो महिलाओं पर अत्याचार को बढ़ावा देते हैं? हमारे देश के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं को हाशिए पर क्यों रखा जाता है? जब तक इन कारकों की पहचान नहीं की जाती और उन्हें दूर नहीं किया जाता, तब तक महिलाओं को सिर्फ़ विधायी निकायों में सीट आरक्षण के ज़रिये, सभी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त होने के लिए सशक्त नहीं बनाया जा सकता है।

महिला उत्पीड़न का स्रोत

समाज में महिलाओं के निचले दर्ज़े का स्रोत समाज का वर्गों में बंटवारा है। जब तक समाज में एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण होता रहेगा, तब तक महिलाएं उत्पीड़ित रहेंगी। इस सच्चाई को 100 साल से ज्यादा पहले, उत्तरी अमरीका और यूरोप में मेहनतकश महिलाओं के कम्युनिस्ट नेताओं ने समझ लिया था। उन्होंने ऐलान किया था कि महिलाओं की मुक्ति का रास्ता समाज को पूंजीवाद से बदलकर, समाजवाद और कम्युनिज़्म तक आगे ले जाने के संघर्ष में निहित है।

महिलाओं के साथ निरंतर भेदभाव और उत्पीड़न का मूल कारण पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के चरित्र में निहित है, जो मेहनतकश बहुसंख्यकों के अधिकतम शोषण के ज़रिये, एक अमीर अल्पसंख्यक के हाथों में निजी मुनाफ़ों को अधिकतम करने की दिशा में काम करता है। हिन्दोस्तान में पूंजीवाद जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव और उत्पीड़न को क़ायम रखकर, विकसित हुआ है। समाज में महिलाओं का निचला दर्ज़ा उनके अत्यधिक शोषण के ज़रिये पूंजीवादी मुनाफ़े को अधिकतम करने में मदद करता है।

अधिक महिला विधायकों के होने से पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था और उसकी राजनीतिक प्रक्रिया के चरित्र में कोई बदलाव नहीं आएगा।

विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग इस धारणा पर आधारित है कि अगर अधिक महिलाएं विधायी पदों पर आसीन होंगी तो महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कि क़ानून और नीतिगत फ़ैसले महिलाओं के प्रति अधिक अनुकूल होंगे।

संसदीय लोकतंत्र की मौजूदा व्यवस्था फ़ैसले लेने की शक्ति को उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के हाथों में केंद्रित करने के लिए बनायी गयी है, जो इज़ारेदार पूंजीपतियों के एजेंडे को ईमानदारी से लागू करती हैं। अधिकतम महिलाओं और पुरुषों को राजनीतिक सत्ता से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

अपने धनबल और मीडिया पर इजारेदारी नियंत्रण के साथ–साथ, ईवीएम द्वारा हेराफेरी करके, इजारेदार पूंजीवादी घराने चुनाव के नतीजे निर्धारित करते हैं, जबकि यह भ्रम क़ायम रखते हैं कि "लोग वोट देकर अपनी पसंद की सरकार को चुन रहे हैं"।

लोगों के पास चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करने, उन्हें जवाबदेह ठहराने या उन्हें वापस बुलाने का कोई तंत्र नहीं है। निर्वाचित प्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, बल्कि वे जिस राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके आलाकमान के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोगों के पास अपने हितों की रक्षा के लिए क़ानून बनाने या क़ानूनों में संशोधन करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

वर्तमान व्यवस्था में नीतिगत फ़ैसले लेने की शक्ति मंत्रिमंडल के पास है। क़ानूनों को मंत्रिमंडल द्वारा अनुसमर्थन के लिए विधायिका में पेश किया जाता है। जब तक कार्यपालिका पर नियंत्रण करने वाली पार्टी के पास विधान–मंडल में बहुमत है, तब तक अनुसमर्थन एक औपचारिकता मात्र है। निर्वाचित सांसदों और विधायकों को पार्टी व्हिप के अनुसार क़ानूनों पर मतदान करना होता है, न कि अपने ज़मीर के अनुसार। यह निर्वाचित महिला विधायकों और सांसदों पर भी लागू होगा।

राजनीतिक पार्टियां समाज में निश्चित वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पूंजीपति वर्ग की पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधि पूंजीपति वर्ग के एजेंडे को ही लागू करेंगे। इन पार्टियों की महिला सांसदों और विधायकों को अपनी पार्टियों के एजेंडे का समर्थन करना होगा, भले ही उस एजेंडे का मतलब महिलाओं का अधिक शोषण और उत्पीड़न हो।

संसद और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों की अब तक की भूमिका इसकी पुष्टि करती है। मिसाल के तौर पर, संसद में भाजपा की महिला प्रतिनिधियों ने किसान–विरोधी क़ानूनों और मज़दूर–विरोधी श्रम संहिताओं के पक्ष में मतदान किया था, जो सभी महिलाओं के अधिकारों पर हमला करते हैं। कर्नाटक विधानसभा और तमिलनाडु विधानसभा में, कार्यकारिणी पर नियंत्रण करने वाली पार्टी की महिला विधायकों ने महिला मज़दूरों के लिए रात की पाली और 12 घंटे के काम के दिन की इजाज़त देने वाले क़ानूनों के पक्ष में मतदान किया था।

विधायी पदों पर अधिक महिलाओं के आसीन होने से आर्थिक व्यवस्था का पूंजीवादी चरित्र नहीं बदलेगा। इससे दोनों, महिला और पुरुष मज़दूरों के क्रूर शोषण और अधिकारों के घोर हनन को समाप्त नहीं किया जायेगा। इससे राज्य का दमनकारी स्वभाव तथा राजनीतिक प्रक्रिया का जन–विरोधी चरित्र नहीं बदलेगा। यह राजनीतिक प्रक्रिया और फ़ैसले लेने की शक्ति से अधिकांश महिलाओं और पुरुषों को वंचित किये जाने की स्थिति को नहीं बदलेगा।

महिला आरक्षण अधिनियम 2023, संसद और विधानसभाओं में कुछ नई महिलाओं के चेहरों को पेश करने के अलावा, राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया के चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इससे महिलाओं और बहुसंख्यक लोगों के हाथों में फ़ैसले लेने की शक्ति सुनिश्चित करने वाला कोई भी मूलभूत परिवर्तन नहीं लाया जायेगा। यह अधिनियम संसदीय लोकतंत्र की प्रचलित व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन लाए बिना, महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के ज़रिये, उनमें शक्ति का भ्रम पैदा करने का काम करेगा। राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया पर उन्हीं स्थापित राजनीतिक पार्टियों का वर्चस्व बना रहेगा जो इज़ारेदार पूंजीपतियों के एजेंडे को ईमानदारी से लागू करती हैं।

महिलाओं के अधिकारों की पुष्टि

महिलाओं के, मानव समाज के सदस्य बतौर तथा मानव जीवन के पुनरुत्पादन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, कई अधिकार होते हैं। पूंजीवादी समाज और उसकी हिफ़ाज़त करने वाली व उसकी निरंतरता बनाये रखने वाली मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया सभी महिलाओं के लिए इन अधिकारों की गारंटी नहीं देती हैं। महिलाओं की मांग है सभी प्रकार की गुलामी और भेदभाव से अपनी पूर्ण मुक्ति। इससे कुछ कम से आज महिलाएं संतुष्ट नहीं होने वाली हैं। महिलाएं समाज से ऐसी हालतों को बनाने की मांग कर रही हैं जो शासन के साथ–साथ, सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं में महिलाओं की पूर्ण और स्वतंत्र भागीदारी सुनिश्चित करेंगी।

महिलाएं कोई "अल्पसंख्यक" नहीं हैं, जिन्हें आरक्षण से समायोजित या संतुष्ट किया जा सकता है। वे समाज का आधा हिस्सा हैं। महिलाओं के लिए निर्वाचित निकायों में एक तिहाई सीटों का आरक्षण आधुनिक मेहनतकश महिला की गरिमा का अपमान जैसा महसूस होता है। मूलभूत परिवर्तनों के ज़रिये ऐसी हालतें बनाने की आवश्यकता है, ताकि महिलाएं बिना किसी आरक्षण के, निर्वाचित निकायों में एक तिहाई नहीं, बल्कि आधी या उससे अधिक सीटों पर आसीन हो सकें।

निष्कर्ष

हालांकि महिला आरक्षण अधिनियम महिलाओं की दमनकारी परिस्थितियों के ख़िलाफ़ संघर्ष का परिणाम है, लेकिन यह हमारे देश की बहुसंख्यक मेहनतकश महिलाओं के लिए जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है।

महिलाओं और मेहनतकश लोगों को अपने हाथों में राजनीतिक सत्ता लेने की ज़रूरत है, ताकि वे देश का एजेंडा निर्धारित कर सकें, अपने जीवन पर असर डालने

शेष पृष्ठ 3 पर

नई दिल्ली में हिन्दोस्तान–अमरीका 2+2 वार्ता :

हिन्दोस्तान और अमरीकी साम्राज्यवाद के बीच बढ़ती नजदीकी के संबंधों का विरोध करें

10 नवंबर को हिन्दोस्तान के विदेश मंत्री, जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरीकी विदेश सचिव ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ नई दिल्ली में एक संयुक्त चर्चा में भाग लिया। यह "2+2" मंत्रिस्तरीय संवाद (मिनिस्टीरियल डायलॉग) के नाम से की जाने वाली वार्षिक बैठकों की श्रृंखला में पांचवीं बैठक थी।

हिन्दोस्तान और अमरीका के बीच नियमित, वार्षिक 2+2 बैठकें, इन दोनों देशों की विदेश नीति तथा सैन्य–रणनीतियों और सैन्य–प्रतिष्ठानों के बीच, लगातार बढ़ते समन्वय की पुष्टि करती हैं। इस वर्ष की 2+2 वार्ता, हिन्दोस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच, इस वर्ष के जून और सितंबर में हुई बैठकों की अगली कड़ी थी। इस वार्ता के दौरान, हिन्दोस्तान–प्रशांत महासागर क्षेत्र (इंडो–पैसिफिक क्षेत्र) की सुरक्षा, पश्चिम एशिया में विवाद और यूक्रेन में युद्ध सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड गठबंधन जैसे तंत्रों को सक्रिय रूप से विकसित करने का संकल्प लिया।

5वीं हिन्दोस्तान–अमरीका 2+2 वार्ता

यूक्रेन युद्ध के सन्दर्भ में अमरीका ने हिन्दोस्तान पर बहुत दबाव डाला था कि हिन्दोस्तान अमरीका और उसके नाटो सहयोगियों का समर्थन करे। लेकिन अमरीकी दबाव के बावजूद, हिन्दोस्तान ने यूक्रेन में युद्ध के संबंध में अपना तटस्थ रवैया बनाए रखा है। हिन्दोस्तानी राज्य के लिए रूस हथियारों की सप्लाई का एक प्रमुख स्रोत है। अमरीकी प्रतिबंधों के बावजूद, हिन्दोस्तान द्वारा रूस के तेल का आयात काफी बढ़ गया है। हाल ही में जी–20 शिखर सम्मेलन में बनी आम सहमति से पता चलता है कि अमरीकी साम्राज्यवादियों ने यूक्रेन के युद्ध में रूस को दोषी ठहराने के लिए हिन्दोस्तान पर अपने पहले के दबाव को कम करने का फ़ैसला किया है। यही फ़ैसला हाल में हुयी 2+2 वार्ता में भी दिखाई दिया। यूक्रेन में युद्ध और वहां के लोगों पर गुजरे दुखद परिणामों के लिए चिंता व्यक्त करते हुए और यूक्रेन के लोगों को हर संभव सहायता का वादा करते हुए, 2+2 वार्ता वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर इस युद्ध के बढ़ते प्रभाव और इस युद्ध के अंत में, यूक्रेन में पुनर्निर्माण की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। अमरीका और हिन्दोस्तानी राज्य इस क्षेत्र में अपने आर्थिक प्रभुत्व को क़ायम रखने के लिए ज़रूरी उपाय और यूक्रेन में युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण से होने वाले मुनाफ़े बनाने के बारे में अधिक चिंतित हैं।

2+2 वार्ता ने फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इज़रायल के युद्ध पर अमरीका और हिन्दोस्तान के बीच घनिष्ठ समन्वय को दर्शाया। अमरीका ने इज़रायल द्वारा फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ किये जा रहे जनसंहारक युद्ध में इज़रायल को पूर्ण राजनीतिक और सैनिक समर्थन दिया है। अमरीका ने "इज़रायल की आत्मरक्षा के अधिकार" के नाम पर, इज़रायल के युद्ध–अपराधों को जायज़ ठहराना जारी रखा है। अमरीका ने दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा, तत्काल और बिना–शर्त युद्ध–विराम और अपनी मातृभूमि के लिए फ़िलिस्तीनी लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग के पक्ष में समाधान के लिए पेश किये गए सभी प्रस्तावों को सुनियोजित तरीक़े से एक के बाद एक, वीटो कर दिया है। हिन्दोस्तान की सरकार ने भी इज़रायल के साथ घनिष्ठ सैन्य संबंध बनाए हैं। "पश्चिम–एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान" के लिए समर्थन का दिखावा करते हुए, हिन्दोस्तानी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में युद्धविराम की मांग करने वाले किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करने से इनकार किया है। उसने "आतंकवाद का मुक़ाबला" करने के नाम पर, वास्तव में, इज़रायल का समर्थन किया है। 2+2 वार्ता के दौरान पारित प्रस्ताव में दोहराया गया कि अमरीका और हिन्दोस्तान, "आतंकवाद के ख़िलाफ़ इज़रायल के साथ खड़े हैं"। दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून का पालन करने का आह्वान किया, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानूनों का सबसे ज्यादा उल्लंघन करने वाला खुद अमरीका ही है! हिन्दोस्तान ने "मानवीय हित में कुछ थोड़े समय के लिए युद्ध विराम" का समर्थन किया, लेकिन फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इज़रायल द्वारा किये जा रहे जनसंहारक युद्ध को समाप्त करने का आह्वान करने से इनकार कर दिया।

2+2 वार्ता में दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य उत्पादन और अमरीका से उन्नत प्रौद्योगिकियों को हिन्दोस्तान को हस्तांतरित करने पर चर्चा हुई। ग़ौरतलब है कि इस क्षेत्र में सरकार–दर–सरकार के संयुक्त कारोबारों के अलावा, सैन्य क्षेत्र की निजी अमरीकी कंपनियां भी शामिल हैं।

वर्तमान में प्रस्तावित सौदों में से कुछ इस प्रकार के सौदे शामिल हैं :

- हिन्दोस्तान में जीई एफ–414 जेट इंजन के उत्पादन के लिए जनरल– इलेक्ट्रिक (जीई) एयरोस्पेस और हिन्दोस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक व्यावसायिक समझौते के लिए बातचीत;
- अमरीका द्वारा हिन्दोस्तान को 31 एमक्यू–9बी ड्रोन की सप्लाई;
- कवच–बंद पैदल सेना वाहनों का दोनों देशों द्वारा सह–उत्पादन।

2+2 वार्ता के संयुक्त प्रस्ताव में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने और एक सुनियोजित तरीक़े से उसे कार्यान्वित करने के लिए एक "रक्षा–औद्योगिक सहयोग के रोडमैप" का भी उल्लेख किया गया है। इस संबंध में दोनों देश "नए संपर्क" स्थापित करने पर भी सहमत हुए।

दोनों देश, हिन्दोस्तान में सैन्य–वाहनों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एम.आर.ओ.) क्षेत्र में निवेश को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें विमान–रखरखाव और अमरीकी नौसैनिक जहाजों की मध्य–यात्रा मरम्मत भी शामिल है। अमरीकी रक्षा–सचिव के शब्दों में : "हम अपने औद्योगिक–साधनों को एकीकृत कर रहे हैं, अपनी "अंतर संचालनीयता" को मजबूत कर रहे हैं और "अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी" को अपने बीच सांझा कर रहे हैं। हमारे सहयोग का दायरा बहुत बड़ा है, यह समुद्र तल से लेकर अंतरिक्ष तक फैला हुआ है।" हिन्दोस्तान के विदेश मंत्री ने एक "साझा–वैश्विक–एजेंडा" बनाने की बात उजागर की।

संवाद का महत्व

2+2 वार्ता को हिन्दोस्तान और अमरीका के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के संदर्भ में समझना होगा।

अमरीका एशिया पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, हिन्दोस्तान के साथ अपने गठबंधन को अपनी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। अमरीका एशिया के तेल, गैस और खनिज समृद्ध देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, चीन को घेरने और रूस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका ने रूस को यूक्रेन में एक लंबे सैन्य–संघर्ष में उलझा दिया है।

हिन्दोस्तान के शासक वर्ग के दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर पर स्थित अफ़्रीकी देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के अपने साम्राज्यवादी मंसूबे हैं। वह इस लक्ष्य को हासिल करने में चीन को एक बड़ी चुनौती के रूप में देखता है। उसे अमरीका के साथ मिलकर, एक सैन्य–रणनीतिक गठबंधन के ज़रिये, अमरीका के साथ अपनी रणनीति का समन्वय करके अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को हासिल करने की उम्मीद है। शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद से और ख़ास तौर पर 2003 के बाद से हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की लगातार कोशिश करता आ रहा है।

हिन्दोस्तानी राज्य को अपने रणनीतिक बंधन में अधिक से अधिक बांधने के उद्देश्य से अमरीका हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग को चीन के प्रति एक शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाने के लिए उकसाता रहा है। अमरीका अपने सैन्य शस्त्रागार में से सबसे उच्च स्तर के हथियार बेचकर, हिन्दोस्तानी राज्य को अपने सशस्त्र बलों को उन्नत करने में सहायता कर रहा है। अमरीका हिन्दोस्तान के सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों की योजनाओं को अमरीका के सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलाने के लिए भी काम कर रहा है। हालिया 2+2 वार्ता से पता चलता है कि हिन्दोस्तान और अमरीका के बीच सैन्य और राजनीतिक सहयोग तेज़ी से बढ़ रहा है।

अमरीका और हिन्दोस्तान के बीच संबंध एक असमान संबंध है, क्योंकि अमरीका सैनिक और आर्थिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली ताक़त है। अपनी उच्चतर सैनिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक ताक़त के साथ अमरीकी साम्राज्यवाद अपने आधिपत्यवादी और प्रसारवादी मंसूबों को हासिल करने के लिए हिन्दोस्तान के राजनीतिक और सैन्य–प्रतिष्ठान में हेरफेर और नियंत्रण करने की स्थिति में है। "अंतर–संचालनीयता" और "सह–उत्पादन" की बातें, इस ज़मीनी हक़ीक़त को नहीं छिपा सकती कि अमरीका खुद को हिन्दोस्तान के अन्दरूनी मामलों में और अधिक गहराई से जोड़ता जा रहा है। यह हमारी आज़ादी और संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा करता है।

अमरीका के साथ सैनिक–रणनीतिक गठबंधन बनाने वाले सभी देशों के तजुर्बे से स्पष्ट पता चलता है कि ऐसा करना अपने आपको एक गहरे जोख़िम में डालने के समान है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और अन्य देशों में अमरीकी साम्राज्यवाद का क्रूर हस्तक्षेप और वहां पैदा की गयी अस्थिरता यही दिखाती है कि अमरीका के साथ सैनिक–रणनीतिक गठबंधन में फंसने वाले देशों के लोगों को भविष्य में किन ख़तरों का सामना करना पड़ेगा।

हिन्दोस्तान और अमरीका के बीच इस ख़तरनाक रणनीतिक और सैनिक गठबंधन का दृढ़ता से विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा गठबंधन है जो हिन्दोस्तानी लोगों की संप्रभुता और एशिया–प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है।

http://hindi.cgpi.org/24359

महिला आरक्षण अधिनियम 2023

पृष्ठ 2 का शेष

वाले महत्वपूर्ण फ़ैसले ले सकें और अपने जीवन की हालतों को बदल सकें। उत्पादन के साधन, जो इस समय पूंजीपतियों की निजी संपत्ति हैं, को सामाजिक संपत्ति में बदलने की ज़रूरत है, ताकि अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों की लालच के बजाय, लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में संचालित किया जा सके।

प्रगति का रास्ता खोलने के लिए, पूंजीवादी शोषण, सामंती अवशेषों और संपूर्ण उपनिवेशवादी विरासत को समाप्त करने के संघर्ष में, महिलाएं एक निर्णायक शक्ति हैं। शोषक अल्पसंख्यक सरमायदार वर्ग और उसकी गुनहगार पार्टियों के हाथों में राजनीतिक सत्ता की इजारेदारी को समाप्त करना – यही इन गहन क्रांतिकारी परिवर्तनों का रास्ता खोलने के लिए पहला और आवश्यक क़दम है।

महिलाओं को इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वे खुद को पूंजीवादी संसदीय राजनीतिक पार्टियों का उपांग बना दें, जो शोषक पूंजीपति वर्ग के एजेंडे को ही लागू करने वाली हैं।

http://hindi.cgpi.org/24274

मज़दूर एकता लहर
(इंटरनेट संस्करण)
हिन्दी : www.hindi.cgpi.org
अंग्रेजी : www.cgpi.org
मराठी : www.marathi.cgpi.org
पंजाबी : www.punjabi.cgpi.org
तामिल : www.tamil.cgpi.org

फ़िलिस्तीनी लोगों के जनसंहार के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन

22 नवम्बर, 2023 को दिल्ली की विभिन्न ट्रेड यूनियनों, छात्रों, नौजवानों के संगठनों तथा जन संगठनों ने दिल्ली के जंतर–मंतर के गेट से एक जुलूस निकाला। यह जुलूस प्रदर्शन इज़रायल द्वारा फ़िलिस्तीनी लोगों के जनसंहार को रोकने की मांग को लेकर किया गया था।

जुलूस में प्रदर्शनकारी अपने हाथों में प्लेकार्ड लिये नारे लगा रहे थे – 'अपनी मातृभूमि के लिए फ़िलिस्तीनी लोगों का जायज़ संघर्ष ज़िंदाबाद!', 'अमरीका–समर्थित इज़रायल द्वारा फ़िलिस्तीनी लोगों पर जनसंहार मुर्दाबाद!', 'इज़रायली हमले के ख़िलाफ़ एकजुट हों!', 'फ़िलिस्तीन पर इज़रायली बमबारी पर रोक लगाओ!', 'फ़िलिस्तीन पर यू.एन. प्रस्ताव को लागू करो!', 'अमरीकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद!' आदि।

पुलिस ने जंतर–मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि 'इस विषय पर भारत सरकार की ओर से किसी भी तरह के इज़हार किए जाने या प्रदर्शन किए जाने पर पाबंदी है'।

प्रदर्शनकारी तीन घंटे हिरासत में रहे। हिरासत के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सभा की और नारेबाजी की। सभा को विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। सभा को संबोधन करते हुये वक्ताओं ने कहा कि फ़िलिस्तीन के गाज़ा पट्टी में इज़रायल द्वारा 7 अक्तूबर से जारी विध्वंसक बमबारी से 14,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। उनमें अधिकांश बच्चे हैं। गाज़ा पट्टी में आवासीय क्षेत्रों को तहस–नहस कर दिया गया है। 17 लाख से अधिक आबादी को बेघर कर पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है।

उन्होंने कहा कि अमरीकी साम्राज्यवाद की सरपरस्ती में इज़रायल फ़िलिस्तीनी नागरिकों का जनसंहार कर रहा है। इज़रायल एक क़ब्ज़ाकारी ताक़त है। अमरीका ने फ़िलिस्तीन की धरती पर इज़रायल को अपना लठैत तैनात कर रखा है।

इस जनसंहार के ख़िलाफ़ दुनियाभर में करोड़ों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस जनसंहार को रोकने की मांग कर रहे हैं। भोजन, पानी, दवा, अन्य ज़रूरी सामग्रियों को गाज़ा पट्टी में पहुंचाने की मांग कर रहे हैं।

हमारी मांग है कि इज़रायली सेना की विध्वंसक कार्रवाई को तत्काल रोका जाए। गाज़ा पट्टी में तत्काल खाना, पानी, बिजली, दवाई, इत्यादि जैसे ज़रूरी सामानों की आपूर्ति बहाल की जाए। फ़िलिस्तीन को इज़रायली क़ब्ज़ा व गुलामी से आज़ाद कर संप्रभु राष्ट्र घोषित किया जाए।

इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले संगठन थे – इफ्टू, इंकलाबी मजदूर केंद्र, मज़दूर एकता कमेटी, मज़दूर एकता केंद्र, ए.आई.एफ.टी.यू., आई.एफ.टी.यू. (सर्वहारा), मज़दूर सहयोग केंद्र, प्रगतिशील महिला संगठन, वेलफेयर पार्टी आफ इंडिया, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र, जन हस्तक्षेप, आर.डब्ल्यू.पी.आई., बिगुल मज़दूर दस्ता, आई.सी.टी.यू. और इंकलाबी मज़दूर संगठन।

http://hindi.cgpi.org/24323

मुंबई में इज़रायल के जनसंहारक युद्ध की निंदा की गयी

5 नवंबर को मुंबई में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की इलाका समिति ने फ़िलिस्तीन के लोगों के ख़िलाफ़ इज़रायल द्वारा छेड़े जा रहे जनसंहारक युद्ध पर एक बैठक आयोजित की।

बैठक में पेश की गयी प्रस्तुति और चर्चा में, फ़िलिस्तीनी लोगों को एक सदी से भी अधिक समय से उनकी मातृभूमि से वंचित करने में बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवाद की अपराधी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। अपनी मातृभूमि के लिए फ़िलिस्तीनी लोगों का संघर्ष साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ उत्पीड़ित लोगों का एक जायज़ संघर्ष है। यह दो धर्मों के बीच का संघर्ष नहीं है, जैसा कि साम्राज्यवादी मीडिया में बताया जाता है।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादियों ने फ़िलिस्तीनी लोगों को उनकी मातृभूमि से वंचित करने की साज़िश रची थी। वह उपनिवेशों, बाज़ारों और कच्चे माल के स्रोतों को फिर से आपस में बांटने के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों के दो समूहों के बीच युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध – दुनिया को फिर से आपस में बांटने के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों के दो समूहों के बीच युद्ध था। साम्राज्यवादी शक्तियों के एक समूह में ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका और उनके सहयोगी देश शामिल थे। दूसरे समूह में जर्मनी, ऑस्ट्रिया–हंगरी और तुर्की शामिल थे। पहले समूह ने युद्ध में जीत हासिल की थी।

उस युद्ध के दौरान, घुड़सवार सेना पर आधारित लड़ाई के पुराने तरीक़ों की जगह टैंक, ट्रक, हवाई जहाज और पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया गया था। बरतानवी–अमरीकी और अन्य साम्राज्यवादियों को एहसास हो गया था कि भविष्य के युद्धों में वही शक्तियां जीतेंगी जिनका तेल पर नियंत्रण होगा। विजेताओं के बीच हुए समझौते में, ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिस पर पहले तुर्की के सुल्तान का शासन था। बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादियों ने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के तेल–समृद्ध देशों से घिरे हुए, फ़िलिस्तीन की भूमि पर ही इज़राइल बनाने की योजना बनाई थी।

दो विश्व युद्धों के बीच की अवधि के दौरान, ब्रिटिश राज्य ने यूरोप से फ़िलिस्तीन में यहूदियों के आप्रवासन को प्रोत्साहित किया और नए निवासियों को फ़िलिस्तीनी लोगों की भूमि पर जबरन क़ब्ज़ा करने में सहायता की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद और विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, नाज़ी–फासीवादियों ने यूरोप के क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों में यहूदियों पर क्रूरतापूर्वक हमला किया, उनमें से लाखों लोगों को गैस चैंबरों और कंसन्ट्रेशन कैम्पों में मार डाला था। युद्ध के अंत में, जो यहूदी बचे थे उन्हें बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादियों ने फ़िलिस्तीन जाने के लिए प्रोत्साहित किया था।

14 मई, 1948 को फ़िलिस्तीन का एक हिस्सा लेकर उस पर इज़रायल बनाया गया। अगले दिन से ही इज़रायल ने फ़िलिस्तीन के अधिक से अधिक इलाकों को हड़पने के लिए युद्ध छेड़ दिया था। अमरीकी साम्राज्यवादियों ने इज़रायल को अनगिनत हथियार देना और अरबों डॉलरों का धन देना करना जारी रखा है। इज़राइल फ़िलिस्तीनी और अन्य अरब लोगों पर निशाना साधी हुई, एक गोलियों से भरी हुई बंदूक की तरह कार्य करता है।

इतने सालों से अधिकांश देश फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन करते आ रहे हैं, परन्तु इसके बावजूद, अमरीका ने इज़रायल के ख़िलाफ़ हर किसी प्रस्ताव को विफल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करना जारी रखा है।

बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादी और उनके यूरोपीय सहयोगी फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इज़रायल के जनसंहारक युद्ध का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस ने फ़िलिस्तीनी लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने वाले प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन उनके ये सारे क़दम विभिन्न देशों में लाखों–लाखों लोगों को तत्काल युद्धविराम की मांग लेकर, अमरीकी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने से नहीं रोक पाये हैं।

ऐसे युद्ध और विवाद अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के हित में हैं। संयुक्त राज्य अमरीका का सैन्य–औद्योगिक परिसर हथियार बेचकर भारी मुनाफ़ा कमा रहा है।

साम्राज्यवादी फ़िलिस्तीनी लोगों के दिलेर प्रतिरोध संघर्ष को "आतंकवादी हरकत" और इज़रायली राज्य के आतंकवादी हमलों को "आत्मरक्षा" के रूप में पेश करके सच्चाई को झुठला रहे हैं। इज़रायल और उसके साम्राज्यवादी समर्थकों को उनके इस रास्ते पर चलने से रोका जाना चाहिए।

हिन्दोस्तान के लोग फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इज़रायल के जनसंहारक युद्ध का विरोध करते हैं। हिन्दोस्तान की सरकार का तत्काल युद्धविराम के आह्वान वाले संयुक्त राष्ट्र आमसभा के प्रस्ताव से दूर रहने का रुख़ निंदनीय है। हिन्दोस्तानी सरकार को तत्काल बिना शर्त युद्धविराम के पक्ष में स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्य देशों की इस मांग का समर्थन करना चाहिए कि इज़रायल को क़ब्ज़ा किये हुए फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों से हटकर, 1967 से पहले की सीमाओं पर वापस जाना चाहिए और फ़िलिस्तीनी लोगों का अपना राज्य होना चाहिए, जिसकी राजधानी पूर्वी येरुशलम में होनी चाहिए!

http://hindi.cgpi.org/24297

कई देशों ने इज़रायल की निंदा करते हुए उसके साथ संबंध तोड़ दिए हैं

जब दुनियाभर के देशों के लोग फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए हज़ारों की संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं तो कई देशों ने इज़रायल के अपराधों की निंदा करने के लिए आधिकारिक क़दम उठाने शुरू कर दिए हैं।

दक्षिण अफ्रीका और बोलीविया ने इज़रायल के साथ संबंध तोड़ दिए हैं और कई अन्य देश अपने राजदूतों और दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुला रहे हैं।

1 नवंबर को बोलीविया ने गाज़ा में युद्ध को लेकर इज़रायल के साथ आधिकारिक संबंध तोड़ दिए। बोलीविया ने घोषणा की कि उसे "गाज़ा पट्टी में हो रहे हमले और अनगिनत इज़रायली सैन्य हमले स्वीकार नहीं हैं और उसकी निंदा करते हुए इज़रायली राज्य के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का फ़ैसला किया है।"

बोलीविया के पड़ोसियों – कोलंबिया, चिली और होंडुरास ने भी गाज़ा में नागरिकों की मौत की निंदा की है और युद्धविराम का आह्वान करते हुए, परामर्श के लिए अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। चिली के राष्ट्रपति ने इज़रायल पर "अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के अस्वीकार्य उल्लंघन" और गाज़ा के लोगों पर "सामूहिक दंड" की नीति लागू करने का आरोप लगाया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इन हमलों की निंदा करते हुए, इसे "फ़िलिस्तीनी लोगों का जनसंहार" बताया।

अन्य देश जिसमें तुर्की, जॉर्डन, बहरीन और चाड ने इज़रायल से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है।

7 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका ने इज़रायल के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ लिये, इज़रायल के साथ संबंध तोड़ने वालों की सूची में शामिल होने वाला देश बन गया है। दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री ने इज़रायल के ख़िलाफ़ अपने देश की स्थिति का जायज़ा लिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आई.सी.सी.) से युद्ध अपराधों के लिए इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ़्तार करने की मांग की।

http://hindi.cgpi.org/24308

फ़िलिस्तीनी लोगों के समर्थन में ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की गईं

पूरे ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिनमें स्थानीय लोग फ़िलिस्तीनी लोगों पर इज़राइल के जनसंहारक युद्ध का विरोध कर रहे हैं। हम स्नेयर्सब्रुक, इलफ़र्ड और टूटिंग में हुए विरोध प्रदर्शनों पर रिपोर्ट कर रहे हैं।

ग़ाज़ा में जनसंहार के ख़िलाफ़ ब्रिटेन के इलफ़र्ड में स्थानीय विरोध रैली

इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (जीबी) के संवाददाता की रिपोर्ट

18 नवंबर को क़ब्ज़ाकारी इज़रायली सेना द्वारा फ़िलिस्तीनी लोगों के जनसंहार के ख़िलाफ़ पूरे ब्रिटेन में स्थानीय विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। ब्रिटेन के न्यायप्रिय लोग फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और उनकी सरकार से ग़ाज़ा पर युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। लोग इस बात से नाराज़ हैं कि ब्रिटिश राज्य जो खुद को आधुनिक लोकतंत्र की जननी कहता है, इज़रायली ज़ाऊनवादी राज्य के तथाकथित "आत्मरक्षा के अधिकार" का समर्थन कर रहा है।

इलफ़र्ड में रेडब्रिज टाउन हॉल के सामने पेलेस्टेनियन सोलिडेरिटी कैंपेन (पी.एस.सी.) की स्थानीय शाखा द्वारा एक विरोध रैली बुलाई गई थी। इस रैली में सभी समुदायों के क़रीब 400 लोगों ने हिस्सा लिया। लोग इस बात से नाराज़ हैं कि स्थानीय कौंसिल चुप रहकर ग़ाज़ा में हो रहे जनसंहार को नज़र–अंदाज कर रही है।

रैली की शुरुआत पी.एस.सी. के सह–अध्यक्ष डायने नेस्लेन ने किया, जो यहूदी समुदाय से हैं। उन्होंने ग़ाज़ा में फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ जनसंहारक युद्ध की निंदा की। रैली को स्टॉप द वॉर कोएलिशन, पी.एस.सी., इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (जीबी), स्वास्थ्य कर्मचारियों की यूनियन और शिक्षकों की यूनियन सहित कई संगठनों के लोगों ने संबोधित किया। कई प्रदर्शनकारियों की ओर से विचार प्रकट किये गये, जिनमें 4 वर्ष की आयु के बच्चे से लेकर अस्सी के दशक के लोग शामिल थे।

सैम पटेल जो एक शिक्षक हैं, उन्होंने पिछले वर्ष फरवरी में ग़ाज़ा का दौरा किया था। उन्होंने वहां की उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनमें बच्चों को पढ़ना पड़ता था। उनके स्कूलों में हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और छात्रों व शिक्षकों को अपने कोट और दस्ताने पहनकर कक्षाओं में आना पड़ता था। उन्हें इज़रायली सुरक्षा जांच से गुज़रना पड़ता था और कभी–कभी पुलिस द्वारा उनके घरों पर छापा मारे जाने के बाद ही वे स्कूलों में जाते थे। उन्होंने कहा कि ग़ाज़ा में लोग एक शरणार्थी शिविर से दूसरे शरणार्थी शिविर में स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकते, उन्हें चेक प्वाइंट से गुजरना होता है। इज़रायल के क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में इज़रायलियों और फ़िलिस्तीनियों के लिए अलग–अलग सड़कें हैं। इज़रायली बिना रुके महामार्गों पर गाड़ी चला सकते हैं। फ़िलिस्तीनियों को इन सड़कों का उपयोग करने से रोका जाता है। वक्ता ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि इज़रायली कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीन के बहादुर बच्चों ने उनसे दुनिया को यह संदेश देने के लिए कहा कि वे उनके लिए आंसू न बहाएं, बल्कि उनकी आवाज़ उठाएं और उनके समर्थन में कार्रवाई करें।

सभी वक्ताओं ने फ़िलिस्तीनी लोगों के जनसंहार को ख़त्म करने का आह्वान किया। उन्होंने क़ब्ज़ाकारी सेना द्वारा अस्पतालों, स्कूलों, आवासीय भवनों और शरणार्थी शिविरों पर बमबारी की निंदा की, क़ब्ज़ाकारी सेना ने यह झूठा दावा किया है कि हमास के लड़ाके वहां से काम कर रहे हैं। वक्ताओं ने फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ हमलों का समर्थन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ–साथ विपक्षी लेबर पार्टी की भी निंदा की। उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया कि वे उन लोगों को वोट न दें जो निर्दोष बच्चों और महिलाओं के ख़िलाफ़ इज़रायली आतंक का समर्थन कर रहे हैं।

इलफ़र्ड में 1948 के नकबा की चश्मदीद

इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (जीबी) के एक प्रतिनिधि ने कहा कि 7 अक्तूबर के बाद से छह हफ़्तों में, इज़रायली फासीवादियों ने आत्मरक्षा के नाम पर साढ़े चार हजार से अधिक बच्चों और शिशुओं सहित हजारों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या इज़रायली शिशुओं और बच्चों से डरते हैं? एक बच्चा किसी के लिए ख़तरा कैसे हो सकता है? उन्होंने फ़िलिस्तीनी लेखक और राजनीतिज्ञ, ग़ासन कानाफ़ानी की एक कविता पढ़कर फ़िलिस्तीनी बच्चों की हत्या पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं :

मैं चाहता हूं कि बच्चे न मरें। मेरी इच्छा है कि युद्ध ख़त्म होने तक उन्हें आसमान में ले जाया जाये। फिर वे सुरक्षित घर लौट आएंगे और जब उनके माता–पिता उनसे पूछेंगे "तुम कहां थे", तो वे जवाब देंगे "हम बादलों में खेल रहे थे"।

इज़रायली सरकार ने इन हत्याओं को उसी तरह से अतिरिक्त नुक़सान कहा है जैसे उनके समर्थक अमरीकी साम्राज्यवाद ने एक अस्पताल और अल जज़ीरा टीवी केंद्र पर बमबारी को अतिरिक्त नुक़सान कहा था। उन्होंने कहा कि अमरीकी साम्राज्यवाद खुद को दुनिया में लोकतंत्र का रक्षक कहता है और ब्रिटिश साम्राज्यवाद खुद को आधुनिक लोकतंत्र की जननी कहता है। लेकिन इन लोकतंत्रों में सरकारें लोगों की बातें नहीं सुनतीं। उन्होंने अतीत में कभी हमारी बात नहीं सुनी और भविष्य में भी वे कभी हमारी बात नहीं सुनेंगे।

ब्रिटिश सरकार इज़रायली सरकार द्वारा गढ़े गए झूठ को दोहराती रहती है कि हमास अस्पतालों और स्कूलों आदि के नीचे से काम कर रहा है। यह हिटलरवादी जर्मनी के प्रचार मंत्री गोएबल्स के तरीक़े की तरह ही, इस उम्मीद से किया जाता है कि अगर एक झूठ को सौ बार दोहराया जाये तो लोग इस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। इसी तरह बी.बी.सी. इज़रायल द्वारा गढ़े गए झूठ को दोहराता है और इस देश के लोगों को धोखा देता है।

उन्होंने इज़रायली क़ब्ज़े से अपने देश की मुक्ति और सम्मान के लिए लड़ने वाले बहादुर फ़िलिस्तीनियों के अधिकार का समर्थन किया।

उन्होंने स्थानीय पार्षदों से आह्वान किया कि यदि स्थानीय कौंसिल फ़िलिस्तीनी लोगों का उचित समर्थन

शेष पृष्ठ 10 पर

गाज़ा में इज़रायल द्वारा जारी जनसंहार का दुनिया भर में विरोध

ग़ाज़ा में इज़रायल के जारी जनसंहार का दुनियाभर में विरोध तेज़ होता जा रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका से ब्रिटेन, रूस से मलेशिया तक विरोध जारी है और दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग इज़रायल में उत्पन्न चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं।

17 नवंबर को मेक्सिको सिटी, रॉटरडैम, न्यू यॉर्क, बग़दाद, रबात और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी – विश्वविद्यालय के छात्र, स्कूली बच्चे और पत्रकार – अधिकारियों द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के बावजूद विरोध करना जारी रख रहे हैं।

अमरीका और यूरोप के कई विश्वविद्यालयों में छात्रों ने गाज़ा में इज़रायल द्वारा अमानवीय हत्या के लिए इज़रायल और अमरीकी राज्य के समर्थन की निंदा करते हुए, अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया है। बुधवार 25 अक्तूबर, 2023 को 100 से अधिक अमरीकी कॉलेज परिसरों में छात्रों ने इज़रायल को अमरीकी सहायता बंद करने और गाज़ा में फिलिस्तीनी लोगों पर इज़रायल के हमले में युद्धविराम की मांग करते हुए, वॉकआउट किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्रों ने मांग की कि विश्वविद्यालय

शेष पृष्ठ 10 पर

यहूदी लोग भी इज़रायली ज़ाऊनवाद का विरोध प्रकट कर रहे हैं

अमरीका के न्यूयॉर्क शहर में लाखों लोगों ने फ़िलिस्तीनी लोगों का समर्थन किया

तीन–दिवसीय महापड़ाव में देशभर के मज़दूरों और किसानों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया

मज़दूर एकता कमेटी संवाददाता की रिपोर्ट

26–28 नवंबर के दौरान हुए तीन–दिवसीय महापड़ाव में देश भर के मज़दूरों और किसानों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

महापड़ाव का आह्वान 24 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में हुए संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले आयोजित केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के एक संयुक्त सम्मेलन में किया गया था। इस सम्मेलन में मज़दूरों और किसानों की मांगों का एक सांझा चार्टर अपनाया गया था और इस चार्टर को मज़दूरों और किसानों के जनसमूह के बीच लोकप्रिय बनाने और इन मांगों के लिए आंदोलन करने की कार्ययोजना की भी घोषणा की गयी थी।

देश के अलग–अलग राज्यों की राजधानियों में राज्यपाल के कार्यालयों के बाहर मज़दूरों और किसानों ने पूरे दिन की सभाएं आयोजित कीं।

नई दिल्ली में, 26 नवंबर और 27 नवंबर को उपराज्यपाल के कार्यालय के सामने सैकड़ों मज़दूरों और किसानों ने दिनभर के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

वक्ताओं ने मज़दूरों, किसानों और व्यापक मेहनतकश लोगों की आजीविका और अधिकारों पर हो रहे हमलों की निंदा की। उन्होंने रेलवे, बंदरगाहों व गोदियों, बिजली, हवाई अड्डों, महामार्गों, बैंकिंग, आयुध कारखानों, आदि के निजीकरण के मज़दूर–विरोधी और समाज–विरोधी कार्यक्रमों की निंदा की।

उन्होंने सांझी मांगों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। इनमें चार मज़दूर–विरोधी श्रम संहिताओं को निरस्त करना, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को वापस लेना, श्रम के ठेकेदारीकरण को समाप्त करना और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण को रोकना शामिल है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार लाभकारी मूल्य पर सभी कृषि उपज की राज्य द्वारा गारंटीकृत ख़रीद सुनिश्चित करे।

ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने भी मांग की है कि गिग मज़दूरों, आशा और आंगनवाड़ी मज़दूरों और अन्य योजना मज़दूरों को मज़दूर के रूप में मान्यता दी जाए।

सीटू, एटक, मज़दूर एकता कमेटी, ए.आई.यू.टी.यू.सी., एच.एम.एस., टी.यू.सी.सी., सेवा, इंटक, एल.पी.एफ., यू.टी.यू.सी., अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में हुए महापड़ाव में उत्साह के साथ भाग लिया।

चंडीगढ़ के दो स्थानों पर किसान और मज़दूर संगठनों ने बड़े पैमाने पर महापड़ावों का आयोजन किया। पंजाब और हरियाणा से आए हज़ारों किसानों व मज़दूरों ने चंडीगढ़ से सटी मोहाली सीमा पर अपनी ट्रोलियों के साथ पड़ाव डाला। हरियाणा के किसान और मज़दूर चंडीगढ़ से सटी पंचकुला सीमा पर एकत्र हुए।

लखनऊ में हज़ारों मज़दूरों और किसानों ने बढ़–चढ़ कर तीन–दिवसीय महापड़ाव में हिस्सा लिया।

शेष पृष्ठ 7 पर

केरल

चेन्नई

चंडीगढ़ मोहाली बार्डर

पुदुचेरी, तमिलनाडु

कोलकाता

असम

पंजाब के किसान गन्ने की बढ़ती क़ीमत की मांग कर रहे हैं

संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 21 नंवबर से किसान राष्ट्रीय राजमार्ग के जलंधर–फगवाड़ा खंड पर गन्ने की राज्य सलाहित क़ीमतों (एस.ए.पी.) को 380 रुपए से 450 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।

प्रत्येक विशेष राज्य में फ़सल की उत्पादन लागत के आधार पर प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों द्वारा एस.ए.पी. की घोषणा की जाती है। गन्ने की क़ीमत राज्य सरकार अपनी एस.ए.पी. नीति के तहत एक समिति की सलाह पर तय करती है। किसानों ने बताया है कि समिति में धनी चीनी मिल मालिक शामिल हैं जो गन्ना किसानों को भुगतान की जाने वाली क़ीमत को कम रखने की कोशिश करते हैं। पंजाब में एस.ए.पी. में आख़िरी बढ़ोतरी अक्तूबर 2021 में हुई थी और उससे पहले

2017–18 के बाद से 4 साल तक इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई थी। यह इन वर्षों में गन्ना उगाने के लिए लगातार बढ़ती निवेश लागत के बावजूद है।

यहां इकट्ठा हजारों किसानों ने टेंट लगा लिए हैं। जलंधर और लुधियाना तथा जलंधर और नवांशहर के बीच इस मार्ग के नजदीक सभी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है।

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए, भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) के किसानों ने कहा कि उन्होंने एस.ए.पी. बढ़ाने के लिए बार–बार अनुरोध किया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।

यह बताया गया कि बी.के.यू. (उगराहां) और बीकेयू (राजेवाल) भी विरोध में शामिल हुए थे।

24 नवंबर, 2023 को पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाक़ात की और उस क़ीमत पर सहमति जताई जिसपर वर्तमान सीजन में चीनी मिलों द्वारा राज्य के किसानों से गन्ना ख़रीदा जाएगा। हालांकि, यह क़ीमत चीनी मिलों के समझौते पर निर्भर है। 25 नवंबर को मुख्यमंत्री चीनी मिल मालिकों के साथ बैठक करने वाले हैं।

http://hindi.cgpi.org/24383

तीन-दिवसीय महापड़ाव में देशभर ...

पृष्ठ 6 का शेष

26 और 27 नवंबर को तमिलनाडु के चेन्नई में एग्मोर – राजरत्नम स्टेडियम में मज़दूरों और किसानों का सामूहिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों तथा विनिर्माण उद्योग से जुड़े मज़दूर, ऑटोमोबाइल उद्योग के मज़दूर, रेलवे मज़दूर, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के मज़दूर, रक्षा कर्मचारी, मेट्रो परिवहन मज़दूर, बिजली उत्पादन और वितरण के मज़दूर, आई.टी. और आई.टी.ई.एस. कर्मचारी, असंगठित मज़दूर, विभिन्न क्षेत्रों की महिला मज़दूर, कृषि मज़दूर, आदि ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कई ट्रेड यूनियनों, महासंघों और किसान संगठनों के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। मज़दूर एकता कमेटी ने जन विरोध में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

केरल में, पटना, बिहार में और गुवाहाटी समेत असम के पांच शहरों में बड़ी विरोध रैलियां आयोजित की गयीं।

28 नवंबर को किसान व मज़दूर संगठनों ने कोलकता में एक बड़ी रैली की। उसी दिन मुंबई व पूदुचेरी में रैलियां आयोजित की गयीं।

नीचे हिन्दोस्तान में दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, केरल, हिमाचल, असम, लखनऊ में हुए महापड़ावों के दृश्य हैं

http://hindi.cgpi.org/24154

चंडीगढ़ मोहाली बार्डर

पंचकुला, हरियाणा

चंडीगढ़ मोहाली बार्डर

लखनऊ

हिमाचल

पटना

मज़दूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित बैठक :

मज़दूर किसान संयुक्त मोर्चे का आगे का रास्ता

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

देशभर में मज़दूरों और किसानों के संगठन लंबे समय से चली आ रही अपनी मांगों को उजागर करने और अपने सांझे संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए 26 से 28 नवंबर को एक बड़े विरोध प्रदर्शन – महापड़ाव – की तैयारी कर रहे हैं।

13 नवंबर को मज़दूर एकता कमेटी द्वारा "मज़दूर–किसान संयुक्त मोर्चे का आगे का रास्ता" विषय पर एक बैठक आयोजित की गई। मज़दूर एकता कमेटी के सचिव कॉमरेड बिरजू नायक; अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कॉमरेड हन्नन मोल्लाह; ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (ए.आई.पी.ई.एफ.) के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र दूबे; ऑल इंडिया बैंक इम्प्लाइज़ एसोसियेशन के संयुक्त सचिव श्री देवीदास तुलजापुरकर; कामगार एकता कमेटी के संयुक्त सचिव श्री गिरीश बैठक में मुख्य वक्ता थे।

बैठक में विभिन्न क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों के कार्यकर्ताओं – बिजली कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के मज़दूर और कई अन्य लोगों ने भाग लिया। कई किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, असंगठित मज़दूरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया और उत्साहपूर्वक विचार–विमर्श में शामिल हुये।

कॉमरेड बिरजू नायक ने बैठक की शुरुआत करते हुए, महापड़ाव के लिए पूरे देश में मज़दूरों और किसानों के संगठनों द्वारा की जा रही उत्साहपूर्ण तैयारियों के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कई उदाहरण देकर बताया कि कैसे पूंजीवादी लालच को पूरा करने के लिए मज़दूरों और किसानों के शोषण और लूट को तेज़ किया जा रहा है। विभिन्न पूंजीवादी घरानों के मुखिया दावा कर रहे हैं कि कथित तौर पर हिन्दोस्तान के विकास के लिए मज़दूरों को हर हफ्ते 70 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृषि सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में हिन्दोस्तानी और विदेशी पूंजीपतियों का वर्चस्व बढ़ रहा है। करोड़ों किसान क़र्ज़े में डूबते जा रहे हैं क्योंकि उनकी उपज के लिए उन्हें मिलने वाली क़ीमतें, कृषि के लिये आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती लागत की तुलना में बहुत कम हैं। मज़दूरों और किसानों की परिस्थितियां असहनीय होती जा रही हैं, जो लोग मज़दूरों, किसानों और अन्य उत्पीड़ित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं उन्हें राष्ट्र–विरोधी करार दिया जा रहा है और यू.ए.पी.ए. जैसे कठोर क़ानूनों के तहत अनिश्चित काल के लिए जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर व्यवस्थित रूप से सांप्रदायिक नफ़रत और हिंसा आयोजित की जा रही है।

बिरजू नायक ने मज़दूर–किसान मोर्चे की मुख्य मांगों पर प्रकाश डाला, जिसमें काम के अधिकार की क़ानूनी गारंटी, 26,000 रुपये प्रति माह का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन, चार श्रम संहिताओं को वापस लेना, ठेका मज़दूरी को समाप्त करना, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन सहित वेतन पाने वाले सभी मज़दूरों का सर्वव्यापी पंजीकरण, निजीकरण पर तत्काल रोक, बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को वापस लेना, किसानों के क़र्ज़ की माफ़ी और उत्पादन की कुल लागत से 50 प्रतिशत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज की ख़रीद की गारंटी की मांगें शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि हालांकि मज़दूरों और किसानों ने इन मांगों के समर्थन में बड़े पैमाने पर कई बड़े प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उनकी आवाज़ अनसुनी रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश का एजेंडा हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में हम मज़दूरों और किसानों को निर्णय लेने की शक्ति से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपति अपने धनबल तथा समाचार और सोशल मीडिया पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करके, उसी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करते हैं जो पूंजीपति वर्ग को समृद्ध बनाने के कार्यक्रम को लागू करते समय लोगों को सबसे प्रभावी ढंग से बेवकूफ़ बना सकती है। इसीलिए, भले ही 2004 में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की जगह ले ली और 2014 में भाजपा ने कांग्रेस पार्टी की जगह ले ली, लेकिन उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण का कार्यक्रम, मज़दूरों और किसानों के शोषण और लूट को तेज़ करने का क्रम अपरिवर्तित रहा है।

बिरजू नायक ने मज़दूरों और किसानों को हिन्दोस्तान के भविष्य को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार होने की आवश्यकता प्रकट की। उन्होंने कहा, हमारी मांगों में राजनीतिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को बदलने, निर्णय लेने की ताक़त हमारे हाथों में लाने के उपाय शामिल होने चाहिएं। हम मज़दूरों और किसानों को निर्वाचित प्रतिनिधियों को ज़िम्मेदार ठहराने और यदि वे हमारे हितों की पूर्ति नहीं करते हैं तो उन्हें किसी भी समय वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। हमें क़ानूनों और नीतियों को प्रस्तावित करने या अस्वीकार करने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। हमें यू.ए.पी.ए. सहित कठोर क़ानूनों को निरस्त करने की मांग करनी चाहिए और लड़ना चाहिए। हमें सभी लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों के लिए संवैधानिक गारंटी की मांग करनी चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मज़दूरों और किसानों को देश का शासक बनने और सभी के लिए सुरक्षित आजीविका और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने की आवश्यकता है।

कॉमरेड हन्नन मोल्लाह ने इस तथ्य पर विस्तार से प्रकाश डाला कि मज़दूर और किसान मिलकर, देश की सारी संपत्ति के उत्पादक हैं। वे हमारे लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ जीवन की सभी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। परन्तु ये सभी मेहनतकश इस मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा किये जा रहे क्रूर शोषण और लूट के शिकार हैं। मज़दूरों और किसानों का शोषण करके पूंजीपतियों ने पिछले 75 वर्षों में अपनी संपत्ति में भारी वृद्धि की है। साथ ही सामंती उत्पीड़न को भी जारी रखा है।

किसानों के संकट का वर्णन करते हुए, उन्होंने बताया कि एक के बाद एक आई सरकारों ने जो रास्ता अपनाया, उसने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 5 लाख से अधिक किसान क़र्ज़ के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। कृषि के लिये इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की बढ़ती क़ीमतें और लाभकारी मूल्यों पर सुनिश्चित ख़रीद की कमी, इसके लिए ज़िम्मेदार दो कारक हैं। किसान आंदोलन ने स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार, किसानों के क़र्ज़ों की एक बार में माफ़ी और उत्पादन की कुल लागत (सी–2) से 50 प्रतिशत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज की ख़रीद की गारंटी की मांग की है। लेकिन सरकार ने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया है।

हालांकि मज़दूरों और किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में बड़े पैमाने पर कई बड़े प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उनकी आवाज़ अनसुनी रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश का एजेंडा हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में हम मज़दूरों और किसानों को निर्णय लेने की शक्ति से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा तीन किसान–विरोधी क़ानून किसानों की बर्बादी की क़ीमत पर कृषि में बड़े कॉर्पोरेटों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाए गए थे। किसानों को इसका एहसास हुआ और उन्होंने एकजुट होकर इसके ख़िलाफ़ 384 दिनों तक लड़ाई लड़ी और लगभग 700 किसानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। आख़िरकार सरकार को क़ानूनों को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा।

इसी तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने चार श्रम कोड पारित किए हैं, जिससे मज़दूरों को प्रतिदिन 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया गया है, जिससे उन्हें श्रमिक के रूप में उनको सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, ताकि कॉर्पोरेट अत्याधिक मुनाफ़ा कमा सकें। जब हमने दिल्ली की सीमाओं से अपना आंदोलन वापस लिया था तब सरकार ने किसान आंदोलन से जो वादे किए थे, उनमें – न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य द्वारा ख़रीद की गारंटी, क़र्ज़ माफ़ी, बिजली संशोधन अधिनियम 2022 को वापस लेना, आंदोलनकारी किसानों के ख़िलाफ़ बनाये गये मामलों को वापस लेना, आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवज़ा देना, लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों की हत्या के दोषियों को सज़ा देना शामिल थे – ये सभी वादे पिछले दो वर्षों से अधूरे हैं।

मज़दूर–किसान एकता के मुद्दे पर उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि मज़दूर संगठनों ने किसानों का समर्थन किया है। प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, रेलवे, बिजली, बैंकिंग, बीमा आदि के मज़दूरों ने किसानों की मांगों के समर्थन में भारत बंद का आयोजन किया है। इस तरह मज़दूर–किसान एकता बनी है। अब मज़दूर और किसान सिर्फ़ एक–दूसरे के संघर्षों का समर्थन ही नहीं कर रहे हैं, हमने अपनी आजीविका और अधिकारों पर हो रहे हमलों के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया है।

संघर्ष के भविष्य की योजना पर विस्तार से बताते हुए, कॉमरेड हन्नन मोल्लाह ने कहा कि इस साल 24 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 500 से अधिक किसान संगठनों और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि हमारे संयुक्त संघर्ष की योजना को तैयार करने के लिए एक साथ आए। 26 से 28 नवंबर को हम पूरे देश में यह संयुक्त संघर्ष छेड़ने जा रहे हैं। हम सभी राज्यों की राजधानियों में राज्यपालों के कार्यालयों पर आंदोलन करने जा रहे हैं। हम सरकार को चेतावनी देने जा रहे हैं कि अगर सरकार ने हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम अपना संघर्ष तेज़ कर देंगे।

श्री शैलेन्द्र दूबे ने मज़दूर–किसान एकता को मजबूत करने के महत्व पर ज़ोर दिया। किसान आंदोलन को दिए गए अपने मुख्य आश्वासनों में से एक, जिसका सरकार ने उल्लंघन किया है, वह यह है कि बिजली संशोधन विधेयक 2022 किसानों से परामर्श किए बिना संसद में नहीं लाया जाएगा। जब विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर आपत्ति जताई तो इसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया, जहां यह पिछले एक साल से धूल फांक रहा है। स्थायी समिति का दावा है कि वह हितधारकों से परामर्श कर रही है, लेकिन इन हितधारकों में न तो बिजली कर्मचारी, न ही किसान और न ही उपभोक्ताओं के समूह शामिल हैं। सरकार जिन हितधारकों से परामर्श कर रही है, वे बड़े कॉर्पोरेट घरानों के प्रतिनिधि हैं, जैसे कि फिक्की, एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, आदि।

श्री दूबे ने चिंता व्यक्त की कि विधेयक 4 से 22 दिसंबर तक होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अच्छी तरह से समझ गया है कि अगर बिजली संशोधन विधेयक 2022 अपने वर्तमान स्वरूप में पारित हो जाता है तो उन्हें किन आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, विधेयक में कहा गया है कि "सभी विवेकपूर्ण लागतें उपभोक्ता से वसूल

शेष अगले पृष्ठ पर

की जाएंगी"। इनमें बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण की लागत शामिल है। बड़े कॉरपोरेट घराने बिजली क्षेत्र को भारी मुनाफ़े के स्रोत के रूप में देख रहे हैं। किसान बिजली के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक हैं। उन्होंने यह दिखाने के लिए कई उदाहरण दिए कि यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो बिजली की लागत अधिकांश किसानों के लिए वहन करने योग्य नहीं रह जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की है कि किसानों को बाद में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के ज़रिए सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन अगर किसान अपना तत्काल बिजली बकाया चुकाने में असमर्थ है, तो उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा!

श्री दूबे ने बिजली संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए किसान आंदोलन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, ए.आई.पी.ई.एफ. ने किसानों को विधेयक के ख़िलाफ़ संघर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक मानते हुए, दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का लगातार समर्थन किया है। उन्होंने मज़दूरों के संघर्षों के किये जा रहे दमन के लिए सरकार की निंदा की। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने पर सस्पेंशन ऑर्डर का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल और विरोध करने के अधिकार को सुनियोजित तरीक़े से छीना जा रहा है। उन्होंने 24 अगस्त के कन्वेंशन के निर्णयों के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि इस दमन को समाप्त करने के लिए मज़दूरों और किसानों को एक साथ लड़ना होगा। उन्होंने दावा किया कि देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी इस संघर्ष में किसानों के साथ मिलकर चलेंगे।

श्री देवीदास तुलजापुरकर ने मज़दूरों और किसानों के संयुक्त संघर्ष के लिए देशभर के बैंक कर्मियों का समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने उदारीकरण और निजीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ राज्य की बैंकिंग नीति में आये बदलावों के बारे में विस्तार से बताया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दिए जाने वाले बैंक क़र्ज़ में भारी कटौती की गई है। जिसके परिणामस्वरूप चावल जैसे विभिन्न खाद्यान्नों की राज्य द्वारा की जाने वाली ख़रीद में भारी कटौती हुई है। इसके परिणामस्वरूप शहरों में मज़दूरों के लिए राशन की सरकारी दुकानों में उपलब्ध खाद्यान्न में भी कटौती हुई है। बैंकों का ज़ोर किसानों को कृषि क़र्ज़ देने पर नहीं है। इसके बजाय, बैंकों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं और आवास क़र्ज़ और व्यक्तिगत क़र्ज़ देने में भारी वृद्धि हुई है। छोटे और मंझोले किसानों के लिए कृषि क़र्ज़ सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, जबकि बड़े कॉरपोरेट घरानों को दिया जाने वाला क़र्ज़ प्राथमिकता में है। इसे स्पष्ट करने के लिए, उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जहां दक्षिण मुंबई जिले में सभी बड़े कॉर्पोरेट मुख्यालय स्थित हैं, सबसे अधिक कृषि बैंक ऋण लेने की रिपोर्ट करता है। छोटे और मंझोले किसानों को कृषि क़र्ज़ अब एन.बी.एफ.सी. और अन्य वित्तीय बिचौलियों के ज़रिये दिया जा रहा है, जो बहुत अधिक ब्याज दरें वसूलते हैं।

श्री तुलजापुरकर ने बैंकों के बढ़ते निजीकरण और नए छोटे वित्तीय बैंकों के निर्माण पर भी प्रकाश डाला, जो किसानों को 42 प्रतिशत तक की ऊंची ब्याज दरों पर क़र्ज़ देते हैं! यह आर.बी.आई. की पूरी जानकारी और अनुमति से किया जा रहा है। सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के ध्वस्त होने से छोटे एवं मध्यम किसान पूरी तरह तबाह हो गये हैं। बैंक कर्मचारी बैंकों के निजीकरण और बड़े कॉरपोरेटों को लाभ पहुंचाने की दिशा में बैंकिंग को ले जाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसीलिए बैंक कर्मियों के लिए इस संघर्ष में किसानों के साथ हाथ मिलाना ज़रूरी है।

श्री गिरीश ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि मज़दूर और किसान मिलकर 90 प्रतिशत से अधिक आबादी हैं। मज़दूर–किसान संयुक्त मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है जिसमें मेहनतकश जनता का विशाल बहुमत शामिल है। इसके अलावा, अधिकांश शहरी मज़दूरों की जड़ें किसानों में हैं, जबकि अधिकांश किसान परिवारों के सदस्य शहरों में मज़दूर हैं। यह मज़दूरों और किसानों के बीच घनिष्ठ अभिन्न संबंध की ओर इशारा करता है।

मज़दूर और किसान समाज की सारी संपत्ति के निर्माता हैं। फिर भी, देश के हर हिस्से में मज़दूर और किसान अपने अधिकारों के लिए, आजीविका की सुरक्षा के लिए, सबसे बुनियादी ज़रूरतों के लिए और सम्मानजनक मानवीय जीवन के लिए संघर्ष में सड़कों पर हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों – बिजली, बैंकिंग, रेलवे, खनन, आदि – के कर्मचारी सार्वजनिक संपत्तियों और सेवाओं को हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार कॉर्पोरेट घरानों को सौंप जाने के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं। मज़दूरों और किसानों के एकजुट संघर्ष के कारण ही सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2022 पारित नहीं कर पाई है। इसलिए, हम मज़दूर और किसान मिलकर एक शक्तिशाली ताक़त हैं और हमारा दुश्मन, शासक पूंजीपति वर्ग है और हम इस बात से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं। इसीलिए हमारे शासक हमें अपने संघर्ष से भटकाने तथा हमारी एकता और संघर्ष की भावना को तोड़ने का प्रयास करते हैं।

श्री गिरीश ने उदाहरण दिया कि कैसे पूंजीवादी प्रचार मशीन मज़दूरों और किसानों को विभाजित करने की कोशिश करती है। जब किसान अपनी उपज के लिए अधिक क़ीमतों की मांग करते हैं, तो मज़दूरों से कहा जाता है कि यह बढ़ती खाद्य क़ीमतों के लिए ज़िम्मेदार है। जबकि हक़ीक़त यह है कि भोजन और सभी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती क़ीमतों के लिए इजारेदार पूंजीवादी घरानों का लालच ज़िम्मेदार है। इसी तरह, जब किसान क़र्ज़ माफ़ी की मांग करते हैं, तो मज़दूरों से कहा जाता है कि अगर किसानों की मांगें मान ली गईं तो सरकार के पास स्कूलों और अस्पतालों के लिए पैसा नहीं होगा। किसानों से कहा जाता है कि मज़दूर आलसी हैं और काम नहीं करते; इसीलिए आपको उचित बिजली और पानी की आपूर्ति नहीं मिल पाती है। इस तरह के झूठे प्रचार के ज़रिए वे मज़दूरों और किसानों को बांटने की कोशिश करते हैं। मज़दूर–किसान संयुक्त मोर्चे का पहला काम है पूंजीपतियों के इन झूठों को बेनक़ाब करना और स्पष्ट रूप से बताना कि शासक पूंजीपति वर्ग हमारा सांझा दुश्मन है।

श्री गिरीश ने कहा कि शासक वर्ग एक और हानिकारक भ्रम फैलाता है – कि हमारे दुखों के लिए पूंजीपति वर्ग और उसकी राजनीतिक व्यवस्था ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिये सत्ता में बैठे कुछ अक्षम और भ्रष्ट लोग ज़िम्मेदार हैं। हमें बताया गया है कि चुनाव के ज़रिये हम सत्ता में पार्टी को बदल सकते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद कर सकते हैं। मज़दूर–किसान संयुक्त मोर्चा को अपने मेहनतकश भाई–बहनों को यह समझाना होगा कि हिन्दोस्तान का असली शासक यह या वह राजनीतिक दल नहीं, बल्कि पूंजीपति वर्ग है जो देश का एजेंडा तय करता है। पूंजीपति घराने उस राजनीतिक दल की सरकार बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करते हैं जो लोगों को सबसे प्रभावी ढंग से बेवकूफ बनाते हुए उनके एजेंडे को सबसे अच्छे से लागू करेगा। इसीलिए, चाहे पूंजीपति वर्ग की कोई भी पार्टी सत्ता में हो, मज़दूरों और किसानों की आजीविका और अधिकारों पर लगातार हमले जारी हैं। इस सच्चाई को उजागर करने की ज़रूरत है, अन्यथा मज़दूर और किसान पूंजीपति वर्ग के एजेंडे को पूरा करने वाले किसी न किसी राजनीतिक दल के पीछे लामबंध होते रहेंगे।

हमारे शासक यह कहते हैं कि हम मज़दूर और किसान देश नहीं चला सकते, हमें देश चलाने के लिए पूंजीवादी राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। हमें साहसपूर्वक बताना होगा कि यह पूंजीपति वर्ग का उदारीकरण और निजीकरण का एजेंडा है, जिसे उनके सभी राजनीतिक दलों द्वारा लागू किया गया है, जो समाज को बर्बादी की कगार पर धकेलने के लिए ज़िम्मेदार है। हम मज़दूर और किसान जानते हैं कि सभी मेहनतकशों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था को कैसे व्यवस्थित किया जाए और हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसके लिए हमें पूंजीपति वर्ग के शासन से छुटकारा पाना होगा और मज़दूरों और किसानों को शासक वर्ग बनाने के लिए संगठित करना होगा।

कई अन्य प्रतिभागियों ने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये।

तमिलनाडु के श्री गोविंदस्वामी ने बताया कि कई फ़सलों में स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों द्वारा दी जाने वाली एम.एस.पी. बहुत कम है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि संयुक्त मज़दूर किसान मोर्चा को विभिन्न फ़सलों के लिए एम.एस.पी. की समीक्षा करने और नई सिफ़ारिशें करने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए। राजस्थान के श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने मज़दूरों और किसानों को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने और सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था की दिशा को बदलने पर ज़ोर दिया। इंडियन वर्कर्स एसोसियेशन (ग्रेट–ब्रिटेन) के श्री दलविंदर ने बैठक में भाग लेने वालों को याद दिलाया कि 106 साल पहले, रूस के मज़दूर और किसान क्रांति में उठे थे और अपना शासन स्थापित किया था। समय हिन्दोस्तान और दुनिया में अन्य जगहों पर क्रांतियों के एक और दौर का आह्वान कर रहा है, जो पूंजीपतियों के शासन और देशों के साम्राज्यवादी प्रभुत्व को उखाड़ फेंकेगा और सभी के लिए कल्याण की शुरुआत करेगा।

श्री केके सिंह ने आमूल–चूल सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बताया। सुश्री संजीवनी ने मज़दूरों और किसानों को निर्णय लेने वाले बनने और अर्थव्यवस्था की दिशा को सभी के लिए सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की व्यवस्था की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

कई प्रतिभागियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण और हिन्दोस्तान और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों को सार्वजनिक संपत्तियों और सेवाओं की बिक्री के कार्यक्रम की आलोचना की। उन्होंने मेहनतकश जनता के लिए विद्युत संशोधन विधेयक के विनाशकारी परिणामों को उजागर किया। मज़दूरों और किसानों के संदेश को फैलाने के लिए सोशल मीडिया और अन्य तरीक़ों का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया।

संतोष कुमार ने वक्ताओं एवं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने 26 से 28 नवंबर को होने वाले महापड़ाव को सफल बनाने के आह्वान के साथ बैठक का समापन किया। उन्होंने घोषणा की कि हम अपने शासकों को स्पष्ट संदेश भेजेंगे कि हम मज़दूर और किसान अपने देश का भविष्य अपने हाथों में लेने और सभी के लिए सुख और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं।

http://hindi.cgpi.org/24350

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का नया प्रकाशन

हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी एवं तमिल में उपलब्ध

मूल्य 50 रुपये (डाक खर्च के लिये 30 रुपये अलग से भेजें)

प्राप्त करने के लिये संपर्क करें :
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स
ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2,
नई दिल्ली – 110020,
फोन : 09810167911, वाट्सएप नम्बर 9868811998

UPI कोड से पेमेंट करें

फ़िलिस्तीनी लोगों के समर्थन में ब्रिटेन में बड़े पैमान ...

पृष्ठ 5 का शेष

करने से इनकार करती है तो वे अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दें।

पहला नकबा (जब 1948 में लाखों फ़िलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था) के समय के जीवित बचे एक व्यक्ति की बेटी ने अपनी मां की कहानी बताई कि उस समय वह केवल 4 साल की थी, जब ज़ाऊनवादियों ने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया था और 1948 में ज़ाऊनवादियों द्वारा मारे गए या घायल हुए फ़िलिस्तीनियों के खून पर चलकर गुजरना पड़ा था। उसने कहा कि उसकी मां की सौतेली मां ने उनसे कहा था कि खून को न देखें बल्कि अपनी जान बचाने के लिए चलते रहें। उसने कहा कि कई अन्य फ़िलिस्तीनियों की तरह उसकी मां के पास भी उसके घर की चाबी है, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें वहां वापस जाने की अनुमति मिलेगी।

13 या 14 साल के एक युवा छात्र ने बहुत ही जोशपूर्ण तरीक़े से लोगों से सड़कों पर आने और फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में विरोध करने के लिए कहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ब्रिटिश सरकार हमारी बात सुनेगी।

एक अन्य व्यक्ति ने अपना अनुभव बताया कि कैसे वह और उसका परिवार यरूशलम में एक ईसाई परिवार के साथ रहे और कैसे मुस्लिम, ईसाई और यहूदी वहां बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। उन्होंने कहा कि वे एक–दूसरे के त्योहारों को एक साथ मिल कर मनाते हैं।

कई अन्य लोगों ने फ़िलिस्तीनी लोगों के जनसंहार के ख़िलाफ़ अगले राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए और अधिक लोगों को कैसे जुटाया जाए, इस पर अपने विचार दिए। छोटे–छोटे बच्चों ने "फ्री फ्री पेलेस्टाईन" आदि नारे लगाए।

रैली जीवंत और जोशपूर्ण माहौल में दो घंटे से अधिक समय तक जारी रही, जिसमें 23 नवंबर को रेडब्रिज पार्षदों से पैरवी करने की घोषणा की गई थी कि यदि परिषद फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए न्याय के मुद्दे का समर्थन नहीं करती है तो वे विरोध में अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दें। 25 नवंबर को लंदन में राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की गयी।

22 नवंबर, 2023 को टूटिंग में मार्च

टूटिंग में स्थानीय प्रदर्शन

18 नवंबर, 2023 को अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा समर्थित इज़रायली ज़ाऊनवादियों के जनसंहारक युद्ध के ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीनी लोगों के संघर्ष के समर्थन में स्टॉप–द–वॉर द्वारा टूटिंग में एक स्थानीय प्रदर्शन आयोजित किया गया था। लगभग 200 लोग टूटिंग ब्रॉडवे अंडरग्राउंड स्टेशन के सामने एकत्र हुए और फ़िलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और उनके अपने स्वतंत्र राज्य के समर्थन में भाषण दिए।

लगभग 50 लोगों ने फ़िलिस्तीनी लोगों के समर्थन में नारे लगाते हुए टूटिंग बेक स्टेशन की ओर और वापस टूटिंग ब्रॉडवे स्टेशन की ओर मार्च किया।

स्नेयर्सब्रुक क्राउन कोर्ट में विरोध प्रदर्शन

आयुध फैक्ट्री के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाले 8 मज़दूरों के समर्थन में स्नेयर्सब्रुक क्राउन कोर्ट में विरोध प्रदर्शन किया गया। मज़दूरों पर ब्लैक मेल और अन्य आरोपों का मुकदमा चलाया जा रहा है। उन्हें दस साल तक की सज़ा हो सकती है।

http://hindi.cgpi.org/24311

गाजा में इजरायल द्वारा जारी जनसंहार पर वैश्विक प्रतिक्रिया

पृष्ठ 5 का शेष

इज़रायली संस्थानों का बहिष्कार करे और उनके साथ नाता तोड़ दे।

फ़िलिस्तीनियों के जनसंहार का विरोध करने के लिए, पिछले महीने इसी तरह की कार्रवाई के बाद पूरे स्पेन में छात्रों ने 17 नवंबर को दूसरी हड़ताल की। विश्वविद्यालय और हाई स्कूल के छात्र बार्सिलोना, वालेंसिया, सेविले, मलागा, बिलबाओ, ज़रागोज़ा और मैड्रिड सहित 38 शहरों में एकत्र हुए।

ऑस्ट्रेलिया में हाई स्कूल के सैकड़ों छात्रों ने इज़राइल–ग़ाजा युद्ध की समाप्ति के लिए एक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए स्कूल से छुट्टी ले ली।

इंडोनेशिया में, अक्तूबर के मध्य में लोगों ने मैकडॉनल्ड्स और अन्य अमरीकी व्यवसायों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जब मैकडॉनल्ड्स इज़रायल ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उसने ग़ाजा पर युद्ध के दौरान इजरायली सेना को हजारों मुफ्त भोजन दिए थे।

3 नवंबर को ग़ाजा में इज़रायली युद्ध में संघर्ष विराम की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने ओकलैंड बंदरगाह से निकलने वाले एक अमरीकी सैन्य आपूर्ति जहाज में खुद को बंद करके कई घंटों तक जहाज़ को रोक कर रखा था। प्रदर्शनकारियों ने बर्थ 20 के प्रवेश द्वार को भी रोक कर रखा, जहां कंटेनर वाहक केप ऑरलैंडो खड़ा था और "इज़रायल को कोई और अमरीकी सैन्य सहायता नहीं" जैसे नारे लगा रहे थे।

23 नवंबर को बग़दाद में एक शक्तिशाली प्रदर्शन में सैकड़ों लोग ग़ाज़ा में युद्धविराम के समर्थन में बहुत जोश के साथ एकत्र हुए। इज़रायल द्वारा हमलों का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों की एकजुट आवाज़ों से सड़कें गूंज उठीं। प्रदर्शनकारियों ने इज़रायल को अमरीकी समर्थन और सीरिया तथा ईरान के ख़िलाफ़ इज़रायल की जंगफरोश कार्रवाइयों की निंदा की।

हर दिन, हजारों इज़रायली लोग यरूशलम और तेल अवीव में मार्च निकालते हैं और मांग करते हैं कि नेतन्याहू सरकार फ़िलिस्तीनियों पर हमले रोके और बंधक बनाए गए उनके प्रियजनों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करे। इज़राइल में जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। गाज़ा में कई बंदियों के परिवारों ने सरकार की प्रतिक्रिया की तीखी आलोचना की है और अपने रिश्तेदारों को घर वापस लाने की मांग की है।

इस बीच, गाज़ा पट्टी में घटनाओं की सही–सही रिपोर्टिंग करने के लिए विभिन्न मीडिया कंपनियों के पत्रकारों को दंडित किया गया है। बीबीसी ने फ़िलिस्तीन के समर्थन और इज़राइल की आलोचना करने वाली रिपोर्टों के लिए मध्य पूर्व में छह पत्रकारों को प्रसारण के काम से हटा दिया है। द गार्डियन भी एक कार्टूनिस्ट के ख़िलाफ़ इसी तरह की कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है, जबकि फिलाडेल्फिया के एक अख़बार ने फ़िलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट करने के लिए एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर को बर्ख़ास्त कर दिया है।

http://hindi.cgpi.org/24154

बार्सिलोना, स्पेन

दुनियाभर में फ़िलिस्तीनी लोगों के समर्थन में विशाल प्रदर्शन

एम.आई.टी. विश्वविद्यालय, केम्ब्रिज, अमरीका

रॉटरडैम, नीदरलैंड्स

ओकलैंड बंदरगाह, अमरीका

दुनियाभर के कई देशों में अमेज़न के मज़दूरों की ऐतिहासिक हड़ताल

24 नवंबर को अमेज़न के मज़दूरों द्वारा दुनियाभर में किये गये विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की गतिविधियां उल्लेखनीय हैं। जिस दिन उत्तरी अमरीका और यूरोप में बिक्री के लिए सबसे व्यस्त दिनों में से एक होता है, उसी दिन लगभग 30 देशों में अमेज़न के हजारों डिलीवरी और वेयरहाऊसों के मज़दूर एक साथ हड़ताल पर चले गए। प्रदर्शनकारी मज़दूरों ने अमरीका में थैंक्सगिविंग अवकाश के अगले दिन को "ब्लैक फ्राइडे" के रूप में मनाया, क्योंकि इस दिन बड़ा मुनाफ़ा कमाने की उम्मीद से अमेज़न बिक्री को बढ़ाने के लिए बड़ी छूट देता है। इस विरोध प्रदर्शन में ऐप आधारित और प्लेटफॉर्म आधारित गिग मज़दूर भी हजारों की संख्या में शामिल हुए। "मेक अमेज़ॅन पे!" के बैनर तले हुये विरोध प्रदर्शन ने अमेज़न के मज़दूरों की मांगों के साथ–साथ अन्य ऐप और प्लेटफॉर्म आधारित गिग मज़दूरों की मांगों पर प्रकाश डाला।

यह विश्वस्तरीय विरोध प्रदर्शन यूएनआई ग्लोबल यूनियन और प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इन विरोध प्रदर्शनों में 80 से अधिक मज़दूर यूनियनों और जन संगठनों ने भाग लिया।

हिन्दोस्तान में नई दिल्ली, मुंबई, पटना, वाराणसी, कोलकाता, औरंगाबाद, ऋषिकेश, आगरा, भोपाल, कोल्हापुर और अन्य शहरों से अमेज़न मज़दूरों के विरोध प्रदर्शनों की ख़बरें मिली हैं।

प्रदर्शनकारी मज़दूरों ने "जल्दी–जल्दी और ठीक–ठीक काम करने की क्षमता की निगरानी प्रणाली" के तहत अमेज़न द्वारा किये जा रहे मज़दूरों के तीव्र शोषण के बारे में बताया जो कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। ग़ौरतलब है कि अमरीकी व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा भी अमेज़न की आलोचना की गई है, जिसने घोषणा की है कि इसकी प्रक्रियाएं "काम की गति को बढ़ाने क लिए डिज़ाइन की गई हैं, सुरक्षा के लिए नहीं।"

विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले अमेज़न इंडिया के वेयरहाऊस के मज़दूरों ने काम अपनी भयानक परिस्थितियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्रति घंटे 150 बड़ी वस्तुओं को बनाने के निर्धारित टारगेट

जर्मनी में मेक अमेज़न पे पर विरोध प्रदर्शन (27 नवंबर 2023)

को पूरा करने के लिए 10 घंटे की शिफ्ट में काम करना होता है और लगातार खड़े रहना पड़ता है। प्रदर्शनकारी मज़दूरों के अनुसार, ये टारगेट मानवीय रूप से पहुंच से बाहर हैं, लेकिन यदि वे इन्हें पूरा करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। टारगेट को पूरा करने के लिए उन्हें नियमित रूप से अपनी लंच करने की छुट्टी और वॉशरूम जाने की छुट्टी को छोड़ना पड़ता है। बीमार होने पर भी मज़दूरों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यहां बीमारी की छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। कार्य परिसर के भीतर आराम करने की कोई जगह नहीं है और कोई निर्दिष्ट विश्राम–अवकाश नहीं है। महिला मज़दूरों को मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता; इसकी बजाय उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। यहां कोई शिशुगृह या शिशु देखभाल सुविधाएं नहीं हैं।

प्रदर्शनकारी मज़दूरों ने मांग की है कि अमेज़न और अन्य विशाल कॉर्पोरेट जो प्लेटफॉर्म और ऐप आधारित गिग मज़दूरों को नौकरी देते हैं, उन्हें मज़दूरों को पर्याप्त वेतन देना चाहिए, जिससे एक सम्मानजनक मानव जीवन जीना सुनिश्चित हो। उन्होंने मज़दूरों के रूप में मान्यता और अपनी खुद की ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, सामूहिक सौदेबाज़ी के लिए त्रिपक्षीय बोर्ड (कंपनी प्रबंधन, सरकार और मज़दूर यूनियन के प्रतिनिधियों सहित) के गठन के साथ–साथ, नियमित मज़दूरों के अन्य सभी अधिकारों की मांग की। उनकी अन्य मांगें थीं – स्वास्थ्य और चिकित्सा लाभ, काम के दौरान दुर्घटनाओं के लिए मुआवज़ा, सामाजिक सुरक्षा, अनुबंध प्रणाली को ख़त्म करके और इसे नियमित रोज़गार में बदल दिया जाये तथा महिला मज़दूरों को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और उनके लिये सुरक्षित काम की व्यवस्था की जाये और साथ–साथ अन्य शोषणकारी प्रथाओं को समाप्त किया जाये।

संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और कई अन्य देशों में अमेज़न मज़दूरों द्वारा की गई हड़तालों की सूचना मिली है।

अमरीका में कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, इलिनोइस, कैनसस, मैसाचूसेट्स, मिसिसिपी, उत्तरी कैरोलिना और वाशिंगटन राज्यों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए।

ट्रेड यूनियन वर्डी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल की बिक्री के हिसाब से अमेज़न का दूसरा सबसे बड़े बाज़ार, जर्मनी में अमेज़न के छः वेयर हाउसों के लगभग 2,000 मज़दूर हड़ताल पर रहे।

इंग्लैंड में अमेज़न के कोवेंट्री वेयर हाऊस और अमेज़न के अन्य वेयर हाऊस में हज़ार से अधिक मज़दूरों ने काम बंद कर दिया। ट्रेड यूनियनों ने लंदन में अमेज़न के ब्रिटेन के मुख्यालय के बाहर हड़ताली मज़दूरों के समर्थन में एक प्रदर्शन का आयोजन किया।

इटली में कैस्टेल सैन जियोवानी में अमेज़न वेयर हाऊस के 60 प्रतिशत से अधिक मज़दूर हड़ताल पर थे। फ्रांस में अमेज़न के मज़दूरों का जुलूस जैसे–जैसे आगे बढ़ा, मज़दूरों ने पार्सल लॉकर्स पर – जो ट्रेन स्टेशनों, सुपरमार्केट कार पार्कों और सड़क के कोनों में स्थित हैं और कई ग्राहकों द्वारा ऑर्डर प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं – हड़ताल के पोस्टर से चिपका दिए।

बांग्लादेश में कपड़ा मज़दूरों ने अमेज़न की नीतियों और कामकाजी परिस्थितियों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया।

यह लगातार चौथा साल है जब अमेज़न के मज़दूर ब्लैक फ्राइडे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं, जिसमें इटली, फ्रांस और जर्मनी में हजारों मज़दूरों के हड़ताल पर जाने की ख़बर है।

http://hindi.cgpi.org/24361

हुक्मरान वर्ग की सांप्रदायिक राजनीति ...

पृष्ठ 1 का शेष

पर एक मंदिर बनाने के लिए सांप्रदायिक अभियान को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ़ हो गया।

दिसंबर 1992 में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही थी, जबकि भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व कर रही थी। उनके आदेश पर सुरक्षा बलों ने बाबरी मस्जिद के विनाश को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जब उसे ध्वस्त किया गया तो सुरक्षा बल मूकदर्शक बन कर खड़े रहे। श्रीकृष्ण आयोग ने कांग्रेस पार्टी, भाजपा और शिवसेना, सभी को दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के दौरान हुयी सांप्रदायिक हिंसा को आयोजित करने के लिए दोषी ठहराया था।

बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कांग्रेस पार्टी और भाजपा की मिलीभगत से पता चलता है कि वह हुक्मरान वर्ग की सेवा में था। उसका मक़सद राजनीतिक था, धार्मिक नहीं। उसने लोगों को बांटने और अपने सांझे दुश्मन, हुक्मरान पूंजीपति वर्ग से लोगों का ध्यान हटाने का काम किया। उसने जनता का ध्यान भटकाने का काम किया, जबकि हुक्मरान वर्ग ने उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण के जन–विरोधी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।

विध्वंस के दस दिन बाद लिब्रहान आयोग का गठन किया गया था, जिसका काम था गुनहगारों की पहचान करना और तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपना। आयोग के कार्यकाल का 48 बार विस्तार करने के बाद, अंततः 17 साल बाद, 30 जून, 2009 को उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में 68 लोगों को विध्वंस की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का दोषी ठहराया गया, जिनमें भाजपा के कई नेता भी शामिल थे। लेकिन, 30 सितंबर, 2020 को एक विशेष सीबीआई अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए, उन सभी को बरी कर दिया था।

जबकि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के किसी भी दोषी को सज़ा नहीं दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस ज़मीन पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी, उस ज़मीन की मालिकी के विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई की। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उस ज़मीन को राम मंदिर बनाने के लिए सौंपने का फ़ैसला सुनाया। अदालत ने यह स्वीकार किया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को ध्वस्त किया गया था, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की आस्था का आदर करने के नाम पर अपने फ़ैसले को सही ठहराने की कोशिश की।

ग़ौरतलब है कि हाल के वर्षों में न्यायपालिका के समर्थन से इबादत स्थलों से संबंधित कई पुराने और नए विवाद भड़काए गए हैं। इस दावे पर अदालतों में सुनवाई हो रही है कि वाराणसी में प्राचीन ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अदालतें उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही हैं जिनमें दावा किया गया है कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद उसी स्थान पर बनी है जहां कृष्ण का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और देश के कुछ अन्य राज्यों में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाने के दावे अदालतों में सुने जा रहे हैं। ऐसे दावों के पक्ष में सबूत इकट्ठा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया) को लगाया गया है।

किसी मंदिर का तथाकथित विनाश करके बनाई गई किसी मस्जिद के विध्वंस के आह्वान का समर्थन करके, हिन्दोस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि खोने के लिए बहुत कुछ है। बदले की भावना के साथ की गयी ऐसी हरकतें सिर्फ़ अलग–अलग धार्मिक आस्थाओं के लोगों के बीच नफ़रत और दुश्मनी फैलाने का काम करती हैं। वे पूंजीपति वर्ग के शोषणकारी और दमनकारी शासन के ख़िलाफ़ मज़दूरों और किसानों की एकता को तोड़ने का काम करती हैं।

हमारे देश में मुख्य संघर्ष, एक तरफ़ इजारेदार पूंजीपतियों की अगुवाई में पूंजीपति वर्ग और दूसरी तरफ़ शोषित और उत्पीड़ित जनसमुदाय के बीच है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटना और उस बंटवारे को बढ़ाना पूंजीपति वर्ग की हुकूमत के तरीक़े का हिस्सा है।

सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा को ख़त्म करने के लिए पूंजीपति वर्ग को सत्ता से बेदखल करना ज़रूरी है। सभी प्रगतिशील ताक़तों के सामने तात्कालिक कार्य सत्तारूढ़ पूंजीपति वर्ग, उसकी भरोसेमंद पार्टियों और उनकी बंटवारे की राजनीति के ख़िलाफ़ लोगों की राजनीतिक एकता को बनाना और मजबूत करना है।

सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ संघर्ष को मौजूदा पूंजीवादी हुकूमत की जगह पर मज़दूरों और किसानों की हुकूमत वाला एक नया राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ाना होगा। हमें एक ऐसे राज्य की ज़रूरत है जो बिना किसी अपवाद के सभी लोगों के जीवन और अधिकारों की रक्षा करेगा और किसी भी मानव अधिकार का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सज़ा देगा।

http://hindi.cgpi.org/24374

मज़दूर एकता लहर

हिंदोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय कमेटी का अखबार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23
LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23
Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Dec, 2023, Date of publish - 1 Dec, 2023

To ....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

बेलसोनिका के मज़दूरों ने डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय पर प्रदर्शन किया

19 नवम्बर, 2023 को हरियाणा में बेलसोनिका यूनियन ने गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर (डी.सी.) कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बेलसोनिका यूनियन के समर्थन में विभिन्न जनसंगठनों व ट्रेड यूनियनों ने गुरुग्राम डी.सी. ऑफिस पहुंचकर अपना समर्थन दिया।

गौरतलब है कि गुरुग्राम स्थित बेलसोनिका कंपनी की मज़दूर यूनियन ने कंपनी में स्थाई काम के लिये लम्बे समय से कार्यरत ठेका मज़दूरों को यूनियन की सदस्यता दे दी थी। यूनियन के इस क़दम पर कंपनी प्रबंधन और हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने मिलकर यूनियन के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है।

मज़दूरों ने जब कंपनी के प्रबंधन व श्रम विभाग की इस कार्रवाई का विरोध किया तो कंपनी ने यूनियन के कई पदाधिकारियों व सदस्यों को बर्ख़ास्त कर दिया और क़रीब 25 मज़दूरों को नौकरी से भी निकाल दिया। यूनियन द्वारा मज़दूरों के अधिकारों पर हो रहे इन हमलों के ख़िलाफ़, 12 अक्तूबर से गुरुग्राम के डी.सी. कार्यालय पर लगातार धरना–प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार व उसके श्रम विभाग की नींद नहीं खुल रही है।

बेलसोनिका की यूनियन के मज़दूरों के धरने को समर्थन करने पहुंचे संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि बेलसोनिका यूनियन का ठेका मज़दूरों को जोड़ने की पहल और उनका संघर्ष सराहनीय है। शोषण उत्पीड़न के ख़िलाफ़ वर्गीय एकता बनाकर संघर्ष करना ही एकमात्र सही तरीक़ा है। हम सभी को ऐसे संघर्षरत मज़दूरों के साथ खड़े होना चाहिए।

धरने को संबोधित करने वालों में थे – डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट से अर्जुन प्रसाद, सी.पी.आई. (एम.एल.) क्रांतिकारी पहल से विमल त्रिवेदी, लोकपक्ष से कृष्ण कान्त सिंह, मज़दूर सहयोग केंद्र से गौरी और इंकलाबी मजदूर केंद्र से मुन्ना प्रसाद।

http://hindi.cgpi.org/24332

दिल्ली में अमेज़न के मज़दूरों का विरोध प्रदर्शन

24 नवम्बर, 2023 को अमेज़न इंडिया वर्कर्स एसोसिएशन, गिग वर्कर्स एसोसिएशन और हाकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मिलकर, अपनी मांगों को लेकर नई दिल्ली के जंतर–मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अमेज़न वेयरहाउस मज़दूर, एप–आधारित गिग मज़दूर तथा रेहड़ी–पटरी विक्रेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में बैनर व प्लेकार्ड ले रखे थे, जिन पर उनकी मुख्य मांगें लिखी थीं।

मज़दूर एकता कमेटी ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और उनके संघर्ष का समर्थन किया।

एप–आधारित प्लेटफार्म पर काम करने वाली नौजवान महिलाओं और पुरुषों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। वर्तमान में देश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक गिग मज़दूर हैं। इनमें से 99 लाख डिलीवरी सेवाओं में लगे हुए हैं। 2022 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2029 तक लगभग 2.35 करोड़ मज़दूर गिग इकोनोमी में काम कर रहे होंगे। अमेज़न, स्विगी, ज़ेप्टो, ज़ोमेटो, ब्लिंकिट, डन्ज़ो, फ्लिपकार्ट, ओला, ऊबर, रैपीडो, शैडोफैक्स, यस मैडम, अर्बन कंपनी जैसी 50 से ज्यादा कंपनियों में लाखों मज़दूर अपनी सेवा दे रहे हैं। इनमें से डिलीवरी सेवाओं में लगी कई कंपनियां हिन्दोस्तानी बड़े इजारेदार पूंजीपतियों से जुड़ी हुयी हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप का बिग बास्केट तथा मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप का डन्ज़ो। इसके अलावा, अमेज़न और वालमार्ट (फ्लिपकार्ट का मालिक) जैसी कई विदेशी कंपनियां गिग मज़दूरों पर आधारित हैं।

इस धरने का आरंभ 'हम मेहनत करने वाले सब एक हैं...' गीत से हुआ।

मज़दूर एकता कमेटी से संतोष कुमार, हाकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी से चरणसिंह, दिल्ली साइंस फोरम से दिनेश अब्रोल, इंडियन फेडरेशन ऑफ एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट मज़दूरों (आई.एफ.ए.टी.) की ओर से संगम त्रिपाठी, राजस्थान गिग एंड एप बेस्ड वर्कर्स यूनियन से राजीव तथा अमेज़न वेयरहाउस और ज़ोमैटो के कई मज़दूरों ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया।

धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज देश में गिग मज़दूरों की बढ़ती संख्या की वजह है देश में बढ़ती बेरोज़गारी तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में नियमित रोज़गार की कमी। गिग मज़दूरों को रोज़गार की घोर असुरक्षा का सामना करना पड़ता है और पर्याप्त सुनिश्चित आमदनी नहीं है। काम के घंटे अनिश्चित होते हैं। ये मज़दूर सभी अधिकारों से वंचित गुलाम की तरह हैं। ऐसे में, सभी गिग मज़दूरों का अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आगे आना और संघर्ष करना, यह एक बहुत ही साहसिक क़दम है।

उन्होंने बताया कि पूंजीपतियों की सरकार, पूंजीपति मालिकों के मुनाफ़ों में और वृद्धि करने के लिए गिग मज़दूरी को खूब बढ़ावा दे रही हैं और सही ठहरा रही हैं। देश की राजधानी में 95 प्रतिशत मज़दूरों को न्यूनतम वेतन के अधिकार से वंचित किया जाता है। उन्हें न्यूनतम वेतन 17,494 की जगह 6,000–10,000 में काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसा कई सालों से चल रहा है, हालांकि इस बीच अलग–अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें बदल चुकी हैं।

कई प्रदर्शनकारी मज़दूरों ने अपनी बातें रखीं। एक डिलीवरी मज़दूर ने बताया कि ये कंपनियां, गिग मज़दूरों को अपना पार्टनर तो कहती हैं, मगर कंपनी के मुनाफ़ों में इन "पार्टनरों" की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। ये कंपनियां गिग मज़दूरों को पार्टनर बताकर, न सिर्फ़ मज़दूरों की बल्कि दुनिया की आंखों में भी धूल झोंक रही हैं। जबकि हम कई वर्षों से एक मज़दूर बतौर मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह वे हमें मज़दूरों को दिए जाने वाले क़ानूनी न्यूनतम वेतन और अन्य सभी अधिकारों से वंचित करते हैं।

गुड़गांव के अमेज़न वेयरहाउस में काम करने वाले मज़दूरों ने बताया कि अमेज़न वेयरहाउस में मज़दूरों का अत्याधिक तीव्र शोषण होता है। मज़दूरों पर झूठा आरोप लगाकर, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और डराया–धमकाया जाता है। कंपनी अपने मुनाफ़ों को बढ़ाने की खातिर, मनमाने तरीक़े से मज़दूरों के लिए अमानवीय और बहुत ऊंचे टारगेट तय करती है। यदि मज़दूर बीमार होता है तो उसे बुखार की गोली देकर टारगेट को पूरा करने के लिए कहा जाता है।

अमेज़न कंपनी में काम करने वाली एक लड़की ने बताया कि प्रतिदिन 10 घंटे काम के बाद उन्हें 10,800 रुपये महीना वेतन मिलता है। इससे गुजारा करना बेहद मुश्किल है। अमेज़न में मज़दूरों को एक महीने या तीन महीने या ग्यारह महीने के कांट्रेक्ट पर रखा जाता है। बहुत ऊंचे टारगेट मज़दूरों की शारीरिक व मानसिक क्षमताओं पर बुरा प्रभाव डालते हैं।

अमेज़न वेयरहाउस मज़दूरों, डिलीवरी मज़दूरों और सभी गिग मज़दूरों ने मज़दूर बतौर मान्यता दिए जाने, न्यूनतम वेतन 25,000 रुपए, कांट्रेक्ट सिस्टम को ख़त्म करने, कार्ड ब्लाकिंग सिस्टम को बंद करने, दुर्घटना मुआवज़ा दिए जाने, महिलाओं के लिए शौचालय व पर्याप्त सुविधाएं तथा सम्मानजनक व्यवहार, 20,000 रुपए दिवाली बोनस, इत्यादि जैसी मांगें रखी हैं। इसके अलावा, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा – ई.एस.आई. और पी.एफ. – की गारंटी और कंपनी प्रतिनिधि, मज़दूर संगठन व सरकार के त्रिपक्षीय बोर्ड के गठन की मांग की है। रेहड़ी–पटरी विक्रेताओं ने लघु उद्योगों के बचाव और ई–कामर्स के नियमन व नियंत्रण के लिए सरकार से मांग की है।

प्रदर्शन के अंत में, श्रम और रोज़गार मंत्रालय को मज़दूरों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा।

http://hindi.cgpi.org/24341